UNIVERSAL LIBRARY
OU_186273
UNIVERSAL LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 335.4 Accession No. G. H 159

Author K18S

Title कार्य समिती औद्योगिक संघ में

This book should be returned on or before the date last marked below.

व० कार्पिन्स्की

सोवियत संघ में शासन कैसे होता है

विदेशी भाषा प्रकाशन गृह

१९५६

В. КАРПИНСКИЙ

КАК УПРАВЛЯЕТСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Checked 1965

Checked 1965

विषय-मूची

पृष्ठ

सोवियत समाजवादी राज्य . ५

सोवियत समाजवादी जनतत्र सघ ११

मोवियत संघ मे राजकीय समितियो का
निर्माण कैसे होता है १७

सोवियत मघ मे राज्य-शक्ति और
राज्य-व्यवस्था की उच्चतर समितिया . . . ३४

सोवियत समाजवादी जनतत्रो मे
राज्य-शक्ति और राज्य-व्यवस्था की
उच्चतर समितिया ५५

सोवियत राज्य-शक्ति की स्थानीय समितिया ६२

सोवियत सघ की प्रमुख और सचालक शक्ति ६८

सोवियत समाजवादी राज्य

२५ अक्तूबर (७ नवम्बर) १९१७ को पेत्रोग्राद (अब लेनिनग्राद) के मजदूरों और सैनिको ने कम्युनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में सशस्त्र विद्रोह किया और पूजीवादी सरकार का अन्त कर दिया।

उसी दिन पेत्रोग्राद में सोवियतो की द्वितीय अखिल-रूसी कांग्रेस आरम्भ हुई। काग्रेस ने जनता के नाम एक अपील निकाली जिसमे घोषित किया गया:

"मजदूरो, सैनिको और किसानो के बहुत बडे बहुमत के समर्थन से, मजदूरो और सैनिको के पेत्रोग्राद मे हुए सफल विद्रोह के समर्थन से, काग्रेस सारा अधिकार अपने हाथ में ले रही है।"

वह महान अक्तूबर समाजवादी क्राति ही थी, जिसने रूस मे राज्य का सारा अधिकार सोवियतों को सौपा था। दुनिया में सबसे पहले मजदूरों और किसानो के सोवियत समाजवादी राज्य का निर्माण इसी प्रकार हुआ था।

शीघ्र ही सोवियत जनता के जीवन में एक आमूल परिवर्तन हुआ।

पहले सारी शक्ति पूंजीपतियों और जमींदारों के हाथ में थी। अब सारी शक्ति शहरों और देहातों की श्रमजीवी जनता के हाथ में है, जिसका संचालन मेहनतकश जनता के डिपुटियों की सोवियतों के द्वारा होता है।

पहले पूंजीपति और जमीदार ही शासक-वर्ग थे। कल-कारखानों पर पूंजीपतियो का अधिकार था। देश की अच्छी से अच्छी ज़मीन के लाखो एकड़ लम्बे भाग पर जमीदारों का अधिकार था। मज़दूर और किसान शोषित और उत्पीडित वर्ग होते थे। शोषको की आजीवन सेवा करने के लिए वह मजबूर थे।

अब यह स्थिति नही है। सोवियत सघ मे पूजीपतियो और जमीदारो के वर्गों का सफाया हुए काफी अरसा हो गया। उनकी सम्पत्ति जनता की सम्पत्ति करार दी गयी।

अब मजदूर एक आजाद मजदूर जमात के रूप मे है, जो अपने देश को कम्युनिज्म की ओर ले जाने मे अगुवाई कर रही है। अब किसान एक स्वतन्त्र कृषक वर्ग के रूप मे है, जिसने बडे पैमाने पर समाजवादी कृषि-फार्मो का सगठन किया है।

सोवियत सघ मे अनेक गैर-रूसी राष्ट्रीय जातिया है। जारशाही के शासनकाल मे इन्हे दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता था। जारशाही हुकूमत इन्हे एक नीची जाति मानती थी, नफरत से इन्हे 'इनोरोदत्सी' (परदेसी, अराष्ट्रीय) कहती थी और न्यूनतम मानवीय अधिकारो से भी वचित रखती थी। वह जातियो मे आपस के वैमनस्य और असन्तोष को बढावा देती थी, और एक जाति को

दूमरी के खिलाफ़ भड़काती थी, ताकि मेहनतकश जनता को अधिक आसानी से दबाया जा मके और उसपर शासन किया जा सके।

इन जातियों की जनता खुद अपने राष्ट्रीय शासक वर्गों द्वारा भी दबायी जाती थी और उनके द्वारा भी उसका शोषण होता था।

सोवियत संघ में किसी प्रकार का कोई भी राष्ट्रीय उत्पीड़न या शोषण नही है। बडी या छोटी जाति के मब लोग बिना इस भेद के कि वे किस जाति या राष्ट्रीय इकाई से मंबन्धित है, आज बिलकुल स्वतन्त्र है और मब के अधिकार ममान है।

यह सब सोवियत व्यवस्था की स्थापना और उमकी विजय के ही फलस्वरूप सम्भव हो सका है।

सोवियते क्या है?

सोवियते सबमे अधिक सर्व जनीय सरकारी समितिया है, जिनमें मारी जनता जाति, वर्ण, लिग, धर्म, शिक्षा, पेशा, आर्थिक स्थिति या पार्टी मम्बन्ध आदि के भेदभाव के बिना ममान अधिकार के साथ सगठित है।

सोवियतो के डिपुटी (प्रतिनिधि) कौन होते है?

वे होते है मजदूर, सामूहिक कृषि-फ़ार्मो के किसान और बुद्धिजीवी, रूमी और एस्तोनियाई, बेलोरूमी और तुर्कमान, उक्रइनी और ओइरोत, लटवियाई और कोमी, जार्जियाई और नेनेत्स, कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी लोग, फौलाद कारखानो के कमकर और चरागाहो के गडरिये, बुनकर और डेयरी-फार्मो या दुग्धशालाओं की श्रमिक स्त्रिया, रेलवे मजदूर और विमान चालक वगैरह।

सोवियतों के डिपुटी जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जनता द्वारा वापस बुलाये जा सकते है। सोवियतें दुनिया की सबसे अधिक जनतान्त्रिक शासकीय समितियां है। जनता से उनका अत्यन्त निकट सम्बन्ध है और उन्हे जनता का पूरा विश्वास प्राप्त है।

प्रत्येक नगर, प्रदेश, जिले, क़स्बे, इलाक़े और क्षेत्र की, मेहनतकश जनता के अपने डिपुटियो की, अपनी सोवियत होती है। सोवियत ही अपने नियत क्षेत्र की शासकीय समिति मानी जाती है। सारी राजकीय व्यवस्था मेहनतकश जनता के डिपुटियों की सोवियतों पर ही आधारित है। सोवियतें ही सोवियत संघ की राजनीतिक नींव है।

मज़दूरों और किसानों का सोवियत समाजवादी राज्य एक नयी और ऊंची किस्म का राज्य है। यह पूजीवादी राज्य से बिलकुल भिन्न है।

पूजीवादी देशों में राज्य-शक्ति पूंजीपतियों के हाथ मे होती है, जो इसका उपयोग मज़दूरों और किसानो के उत्पीड़न और शोषण के लिए करते है। समाज का शासन पूजीपतियो के द्वारा और उनके अपने लिए ही होता है।

सोवियत संघ में सारी शक्ति पर मेहनतकश जनता का अधिकार है। मेहनतकश जनता इस शक्ति का उपयोग समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ करने और उसका विकास करने के लिए, जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को लगातार ऊंचा उठाने के लिए और राज्य की सुरक्षा क्षमता को अधिक से अधिक मज़बूत बनाने

के लिए तथा कम्युनिज़्म के निर्माण के लिए करती है। समाज का शासन मज़दूर वर्ग के द्वारा, जो अग्रगामी वर्ग है, किसानों के सहयोग से और आम मेहनतकश जनता के हित के लिए होता है।

सोवियत संघ में सच्चा जनतन्त्र है, अर्थात् सचमुच में जनता की अपनी सरकार है।

सोवियत सघ की अर्थ-व्यवस्था का आधार है समाजवादी अर्थ-प्रणाली और उत्पादन के साधनो और औज़ारों पर समाजवादी स्वामित्व। मिले और कारखाने, भूमि, उसकी खनिज सम्पत्ति, जंगल और नदिया, तालाब, राज्य द्वारा संगठित कृषि-उद्योग, मशीन-और-ट्रैक्टर स्टेशन, बैंक, यातायात और वार्तावहन के साधन, और साथ ही शहरों और औद्योगिक क्षेत्रो के अधिकाश रिहायशी मकान राज्य की सम्पत्ति है, यानी आम जनता का इनपर अधिकार है। सहकारी सगठन और किसानों द्वारा निर्मित सामूहिक फार्म जैसे साझे के उद्योग, अपनी इमारतो और अपने यहा तैयार की गयी वस्तुओ के साथ सहकारी और सामूहिक फार्म की समाजवादी सम्पत्ति माने जाते है।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र मे समाजवादी स्वामित्व के प्रसार के फलस्वरूप सोवियत संघ में शोषक वर्ग, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की व्यवस्था तथा गरीबी और बेकारी का बिलकुल खात्मा हो चुका है।

सोवियत समाजवादी समाज दो मैत्रीपूर्ण वर्गो से बना है मज़दूर और किसान, इसमें बुद्धिजीवी भी सम्मिलित है जो इन दोनो वर्गों से आते है। मज़दूर, किसान, और बुद्धिजीवी जिनसे

सोवियत समाज बना है, आपस में गाढ़ी मैत्री और पूर्ण सहयोग के साथ रहते है।

सोवियत कानून सभी नागरिकों की निजी सम्पत्ति के अधिकार की भी रक्षा करता है। नागरिकों द्वारा स्वयं अर्जित और बचायी हुई रकम, उनके रहने के निजी मकान और घरेलू उद्योगधन्धे, घर का सामान और निजी जरूरत और आराम की चीज़ें ही उनकी निजी सम्पत्ति मानी जाती है। सोवियत क़ानून नागरिको की निजी सम्पत्ति के पैतृक अधिकार को भी मान्यता देता है।

सोवियत संघ की अर्थ-व्यवस्था सभी पूजीवादी देशो मे बिलकुल भिन्न है। वहा समाज और राज्य की आर्थिक नीव उत्पादन के साधनो और औज़ारों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। पूजीवादी देशों में उद्योगधन्धों और खेती के लायक अच्छी जमीन पर बड़े-बडे मालिको के एक छोटे मे गुट का अधिकार रहता है, जो इनका उपयोग संपत्तिहीन और जनता के गरीब वर्ग का शोषण करने के लिए करते है।

पूजीवादी समाज परस्पर विरोधी वर्गो का बना होता है मज़दूर और पूजीपति, किसान और जमीदार, खेतिहर मजदूर और कुलक, यानी शोषित और शोषक, जिनमे लगातार तीव्र वर्ग संघर्ष चलता रहता है। पूजीवादी देशो के मजदूर और किसान अपनी सामाजिक मुक्ति के लिए शाति और जनवाद के लिए अपने संघर्ष को तेज़ी से आगे बढा रहे है।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ

रूसी मजदूर वर्ग ने किसान जन-साधारण के सहयोग से प्रथम सोवियत राज्य की स्थापना की थी। रूसी जनता के बन्धुत्वपूर्ण सहयोग से और मध्य रूस में उनके द्वारा स्थापित सोवियत शासन की सहायता से पुराने रूसी साम्राज्य के विभिन्न इलाकों की जनता ने अपने यहां सोवियत जनतंत्र कायम किये।

सन् १९२२ के अन्त में, घरेलू क्रान्ति-विरोधियों और विदेशी दखलदाजों के खिलाफ तीन साल से चल रहे युद्ध में पूर्ण विजय पाने और इस तरह उसके खत्म होने के बाद, उस समय तक निर्मित चार सोवियत जनतन्त्र, लेनिन की पहलकदमी से, सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के नाम से एक सम्मिलित राज्य के रूप में संगठित हो गये। इस संघ के निर्माण की घोषणा ३० दिसम्बर १९२२ को सोवियतों की प्रथम अखिल-संघीय कांग्रेस के अवसर पर की गयी थी। इसी से सोवियत जनता समाजवाद के निर्माण के लिए और सोवियत संघ की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपने चतुर्दिक विकास को पारस्परिक भाईचारेपूर्ण सहयोग से सम्भव बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति और अपने साधनों का पूरा उपयोग कर सकी।

सोवियत संघ के जनतन्त्रों की संख्या क्रमश: बढती हो गयी। इस समय सोवियत संघ में १५ संघीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्र है — रूसी सो ० स ० स ० ज ० (सोवियत संयुक्त समाजवादी जनतन्त्र), उक्रइनी सो० स० ज०, बेलोरूसी सो० स० ज०, उज़बेक सो० स० ज०, कजाख सो० स० ज०, जार्जियाई सो० स० ज०, आज़ेरबैजानी सो० स० ज०, लिथुआनियाई सो० स० ज०, मोल्दावियाई सो० स० ज०, लटवियाई सो० स० ज०, किर्गिज़ सो० स० ज०, ताजिक सो० स० ज०, आरमिनियाई सो० स० ज०, तुर्कमान सो० स० ज० तथा एस्तोनियाई सो० स० ज०।

प्रत्येक सघीय जनतन्त्र मजदूरो और किसानों का एक राष्ट्रीय सोवियत समाजवादी राज्य है जो अन्य सघीय जनतन्त्रों के साथ समान अधिकार के आधार पर सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ से स्वेच्छापूर्वक और स्वतन्त्र रूप से स्वय सबद्ध है।

प्रत्येक संघीय जनतन्त्र, सोवियत सघ का एक सदस्य होने के बावजूद एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न राज्य माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सिर्फ उन मामलो को छोड़कर जिन्हे उसने स्वेच्छा से सोवियत सघ की राजकीय समितियो के अधिकार मे दिया है, अन्य सभी बातों मे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत वह स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सोवियत सघ के सभी जनतंत्र विदेशी राज्यो के प्रभाव से बिल्कुल स्वतत्र हैं।

सोवियत सघ के कुछ जनतन्त्रो में उस जनतन्त्र के मूल निवासियो के अलावा अन्य राष्ट्रीय इकाइयो के लोग भी रहते है।

वे अल्पसंख्यक होते है और उनकी अपनी पृथक् राष्ट्रीय विशेषताएं होती है। इन लोगों ने स्वेच्छापूर्वक अपने स्वायत्त जनतन्त्र क़ायम किये है, जिनका नामकरण उनमे बसनेवाली जाति के नाम पर ही हुआ है।

सोवियत संघ मे १७ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र है — तातार, बाश्कीर, दागेस्तान, बूर्यात-मंगोली, कबार्दिनियाई, कोमी, मारी, मोर्दोवियाई, उत्तर-ओस्सेतियाई, उद्मूर्त, चुवाश, याकुत, आब्खाज़ियान, अद्जार, नाखिचेवान, कारा-कल्पाक और कारेलियाई।

स्वायत्त जनतन्त्र मजदूरो और किसानों का एक सोवियत समाजवादी राष्ट्रीय राज्य है, जो किसी एक संघीय जनतन्त्र से और उसके जरिये सोवियत संघ से संबद्ध होता है।

प्रत्येक स्वायत्त जनतन्त्र अपने क्षेत्र के अन्तर्गत शासन के मामलो में स्वायत्त अधिकारो के आधार पर पूर्ण स्वतन्त्र होता है। यानी अपने घरेलू मामलो में वह स्वशासन के अधिकार का उपभोग करता है। इसकी सारी राजकीय परिषदें तथा इसके स्कूल और दूसरे सास्कृतिक सगठन अपना सारा काम-काज इस जनतन्त्र के निवासियो की मातृभाषा में करते है।

अन्य अल्पसंख्यक सोवियत लोगो ने भी स्वेच्छापूर्वक अपने राष्ट्रीय राज्य सगठन बना रखे है। इन्हें स्वायत्त प्रदेश और जातीय क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक की अपनी राजकीय और शासन-व्यवस्था सम्बन्धी पृथक् जातीय परिषदें होती है जो मेहनतकश जनता के डिपुटियों की सोवियत और उसकी कार्यकारिणी समिति

के रूप मे काम करती है। स्वायत्त प्रदेश और जातीय क्षेत्र की ये तथा अन्य सारी राजकीय परिषदे, स्कूल और दूसरे सास्कृतिक सगठन आदि अपना सारा काम-काज अपने निवासियो की मातृभाषा मे करते है। सोवियत सघ मे नौ स्वायत्त प्रदेश है — आदिगेई, गोर्नो-अल्ताई, यहूदी, तुवा, खाकास, चेर्केस, नगोर्नी-काराबख, दक्षिण-ओस्सेतियाई और गोर्नो-बदख्शा।

सोवियत सघ मे दस जातीय क्षेत्र है — नेनेत्स, यामलो-नेनेत्स, ताइमीर (दोल्गानो-नेनेत्स), आगिन बूर्यात-मगोली, ऊस्त-आर्देन बूर्यात-मगोली, खन्ती-मन्सी, कोर्याक, चुकोत्स्क, कोमी-पेर्म्यात्स और एवेन्की। इनमे से अधिकाश देश के उत्तरी भू-भाग मे बसे हुए है।

इस प्रकार सभी सोवियत जातियो के, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, अपने-अपने जातीय राज्य-सगठन है; जैसे, सघीय जनतन्त्र, स्वायत्त जनतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश और जातीय क्षेत्र। इनमे से प्रत्येक जातीय राज्य सगठन के लोग सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के लिए अपने डिपुटी चुनते है और उन्ही के द्वारा वे सोवियत सघ की सबसे ऊची राजकीय समिति मे अपनी खास जातीय आवश्यकताओ को पेश करते है।

इस बहु-जातीय राज्य का यह राजनीतिक ढाचा दुनिया मे सबसे अधिक प्रजातान्त्रिक है। इसने सभी सोवियत जातियो को महान रूसी जनता और अखिल-सघीय राज्य सगठनो के सहयोग से और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे अपनी जातीय अर्थ-व्यवस्था और जातीय सस्कृति को खूब अधिक विकसित करने का मौका दिया है।

इस राजनीतिक ढांचे से विभिन्न सोवियत जातियों की आपस में मैत्री और भाईचारेपूर्ण सहयोग की भावना को दृढ करने में बहुत मदद मिली है।

पूंजीवादी बहु-जातीय देशों में वहा रहने वाली विभिन्न जातियो में मित्रता नहीं होती, और न हो ही सकती है। वहा सबसे अधिक प्रभावशाली जाति के पूंजीपति दूसरी राष्ट्रीय इकाइयो और जातियो की मेहनतकश जनता को निर्ममता से दबाते है और उनका शोषण करते है। शोषित जनता शोषको के खिलाफ निर्मम मघर्ष मे जुटी हुई है, और अब अक्सर यह मघर्ष जनता को गुलाम बनाने वालो के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का रूप लेता जा रहा है, जैसा कि मलाया, फिलीपाइन तथा दूसरे देशो मे हो रहा है।

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान में यह सबके सम्मुख सिद्ध हो चुका है कि मोवियत संघ, जो कि एक सच्चा प्रजातन्त्र राज्य है और जो समान अधिकार प्राप्त जातियो का एक स्वेच्छा मे निर्मित संघ है, दुनिया का सबसे मज़बूत और सबसे अधिक दृढ बहु-जातीय राज्य है।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सोबियत सघ का अतर्राष्ट्रीय महत्व और प्रभाव अत्यंत बढ गया है।

मोवियत संघ ने मध्य और दक्षिण पूर्वी युरोप की जनता को फासिस्ट जुए से मुक्ति दिलायी और एशिया की जनता को जापानी साम्राज्यवादियो के आक्रमण मे बचने की मदद दी। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, बल्गारिया, हगरी, रूमानिया,

अल्बानिया, उत्तरी कोरिया और चीन में जनता के जनतन्त्र क़ायम हुए। पूर्वी जर्मनी में जर्मन प्रजातान्त्रिक जनतन्त्र और हिन्दचीन में वियतनाम जनवादी प्रजातंत्र की स्थापना हुई।

इस प्रकार कई देश पूंजीवादी दुनिया के घेरे से बाहर आ गये। वहां की जनता ने पूंजीवादी शासन उखाड़ फेंके और अब वह अपने लिए एक नये और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में लगी है।

सोवियत संघ और जनता के ये नये प्रजातन्त्र मिलकर समाजवादी राज्यों का एक ताक़तवर खेमा बनाते हैं, जिसमें दुनिया की कुल आबादी का एक तिहाई से भी अधिक सम्मिलित है (९०,००,००,००० जनता)। दिन प्रति दिन यह खेमा शक्तिशाली होता जा रहा है और राष्ट्रों के बीच स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए, प्रजातन्त्र और समाजवाद की स्थापना के लिए सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है।

सोवियत संघ में राजकीय समितियों का निर्माण कैसे होता है

सोवियत नागरिकों के मतदान अधिकार

सोवियत संघ मे ग्राम सोवियत से लेकर सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत तक के सारे राजकीय सगठनो के डिपुटियो का चुनाव सार्वभौम, समान और सीधे मतदान-अधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है।

जारशाही रूस मे प्रजातान्त्रिक ढग के चुनाव नही होते थे। सन् १९०५ की क्रांति के फलस्वरूप जारशाही सरकार ने जनता को दी गयी एक छूट के रूप मे तथाकथित राज्य दूमा की स्थापना की, जो लेनिन के शब्दो मे लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की एक भौडी नक़ल मात्र थी। इस दूमा के लिए चुनाव इस प्रकार हुआ करते थे — सबसे पहले मतदाताओं का चुनाव होता था। जमीदार और शहरी सरमायादार मतदाताओ की कुल सख्या का तीन चौथाई खुद चुनते थे, किसान २२.४ प्रतिशत और मजदूर २.४ प्रतिशत। इसके बाद

ही मतदाता लोग दूमा के लिए डिपुटियों का चुनाव कर पाते थे। यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी स्थिति में जारशाही दूमा में मज़दूरों और किसानों के बहुत ही कम प्रतिनिधि चुन पाते थे।

स्त्रिया, जिनकी संख्या पूरी आबादी की आधी है, उस जमाने में मतदान सम्बन्धी सारे अधिकारों से वंचित थी। मध्य एशिया और साइबेरिया की गैर-रूसी जातिया, जिनकी संख्या लगभग एक करोड़ थी, भी मतदान अधिकारों से वंचित थी। काकेशस क्षेत्र में लोगों के मतदान अधिकार भी बहुत ही सीमित थे, दूमा में केवल १० डिपुटी ही उनका प्रतिनिधित्व करते थे। सिर्फ उन्हें ही चुना जा सकता था जो रूसी भाषा जानते थे।

सेना में काम करने वालों को भी मत देने या चुने जाने का कोई अधिकार नहीं था।

पूंजीवादी देशों में आज भी इसी प्रकार की मतदान सम्बन्धी रुकावटें और पाबन्दियां जारी है। उनके विधान और चुनाव सम्बन्धी कानून साधारणतया इस प्रकार ही निर्मित होते हैं कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग मतदान-अधिकारों से या तो बिलकुल वंचित रह जाता है या उसके इन अधिकारों में बहुत अधिक कटौती हो जाती है। अनेक पूंजीवादी देशों में स्त्रिया मतदान सम्बन्धी सारे अधिकारों से वंचित है। उन देशों में जहा कई जातियां रहती हैं, या उन देशों में जिन्होंने दूसरे मुल्कों को जीता है, और उन्हें अपने आधीन कर रखा है, पराधीन जातियों और फिरकों के नागरिकों

को मतदान-अधिकार प्राप्त नही होते, उदाहरण के लिए औपनिवेशिक अफ्रिका की आदिवासी जनता को ही लीजिये।*

यहा तक कि खुद शासक राष्ट्र के नागरिको के अधिकाश के चुनाव-अधिकार आम तौर से कई तरह की शर्तो और योग्यताओ का अडगा लगाकर सीमित कर दिये जाते है। उदाहरण के लिए एक नागरिक के लिए जरूरी है कि वह जमीन या और किसी प्रकार की सपत्ति के एक निश्चित अश का मालिक हो, या टैक्स के रूप मे एक निश्चित कम से कम रकम जरूर अदा करता हो, या एक खास चुनाव टैक्स देता हो। एक नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह शासक जाति की भाषा जानता हो और कम से कम कुछ निश्चित श्रेणियो तक की शिक्षा उसे जरूर मिली हो। उसके लिए यह भी जरूरी होता है कि वह किसी मकान का मालिक हो या यह सिद्ध कर सके कि वह चुनाव क्षेत्र मे एक निश्चित अवधि मे जो छ मास, एक साल, दो साल या इससे ज्यादा हो सकती है, बराबर रह रहा है।

पूजीवादी देशो मे मतदान अधिकारो पर बन्धन लगा दिये जाते है या उन्हे बिलकुल ही छीन लिया जाता है ताकि राज्य के शासकीय सगठनो मे शासक वर्गो के प्रतिनिधियो, पूजीपतियो और जमीदारो का ही बोलबाला रहे। ये सब के सब बन्धन और रुकावटे मेहनतकश जनता के खिलाफ, दबी-कुचली जनता के खिलाफ, गरीब और सम्पत्तिहीन जनता के खिलाफ, और सबसे अधिक मजदूरो के खिलाफ होती है। पूजीवादी देशो में शासक वर्ग आम मेहनतकश जनता को देश के शासन मे भाग लेने से रोकने के लिए सब कुछ करते है।

पूजीवादी देशो मे चुनाव आन्दोलन अत्यन्त तीव्र वर्ग-संघर्ष के दौरान में चलाये जाते है, जिनमें पूंजीपति और जमीदार झूठे वादो के बल पर और जोर जबरदस्ती, धमकी और हिंसा के ज़रिये आम मतदाताओ को प्रभावित करने की कोशिश करते है।

पूंजीवादी दलों के उम्मीदवार प्राय: धोखेबाज़ी से चुनाव जीतते है, वे वोट खरीदते है, मरे हुए या फर्जी आदमियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लेते है, मतदान-पेटियो मे जाली चुनाव-पर्चियां डलवाते है और इसी तरह के तिकडम करते है।

इसके अलावा अगर पूंजीवादी देशो के विधान साधारण जनता को चुनाव के अधिकार प्रदान करते भी है, तो उन अधिकारो का उपयोग कर सकने के लिए आवश्यक परिस्थितियो का वहा अभाव रहता है। राज्य की पूरी मशीन: छापेखाने, अखबार, रेडियो, स्कूल, विश्वविद्यालय, सभाभवन और बडी-बडी रकमें पूजीपतियो और जमीदारो के ही हाथ मे होती है। मेहनतकश जनता इन सबसे वंचित रहती है। उसके लिए अपने प्रतिनिधियो को नामज़द करना और उन्हे चुनकर राज्य समितियो मे भेज पाना आसान नही होता।

पूंजीवादी देशो में चुनाव सम्बन्धी अधिकारो के बारे मे यही स्थिति प्रचलित है।

सोवियत संघ मे स्थिति बिलकुल भिन्न है। सोवियत सघ का विधान और चुनाव सम्बन्धी कानून नागरिको के चुनाव अधिकारो पर किसी प्रकार की रोक-थाम या पाबन्दी नही लगाते।

सोवियत विधान मतदान के सार्वभौम अधिकारों को मान्यता देता है। स्त्रियो को पुरुषो के ही समान चुनाव अधिकार प्राप्त है। यह विचार ही कि स्त्रियों को इन अधिकारो से वंचित रखा जाय या उन्हे सीमित कर दिया जाय, सोवियत नागरिको को बहुत ही अन्यायपूर्ण और क्रूरता से भरा मालूम होता है।

सोवियत विधान नागरिको को उनकी भाषा या उनके चमड़े के रग की वजह से चुनाव सम्बन्धी या अन्य किसी प्रकार के अधिकारों से वचित नही करता। सभी जातियो के लोगो को रूसी, बाश्कीर, उक्रइनी, एस्तोनियाई, बेलोरूसी, उज्बेक, नेनेत्स, कोमी, मारी, उइघूर, आदि जातियो के लोगो को सभी सोवियत शासकीय समितियो के लिए चुनने और चुने जाने का अधिकार प्राप्त है।

सोवियत विधान नागरिकों मे, उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर, कोई फर्क नही करता। एक नागरिक मजदूर, किसान (व्यक्तिगत या सामूहिक खेतिहर) या बुद्धिजीवी हो सकता है, यह वह उन पुराने शोषक वर्गो से आया हुआ भी हो सकता है, जो अब सोवियत सघ मे बाकी नही बचे है। उसकी सामाजिक या सम्पत्ति सम्बन्धी स्थिति, अथवा पुरानी गतिविधि चाहे जो रही हो उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है।

प्रत्येक नागरिक को चुनाव अधिकार प्राप्त है, चाहे उसे ऊंचे दर्जे की शिक्षा मिली हो, चाहे माध्यमिक या बिलकुल आरम्भिक शिक्षा ही।

प्रत्येक नागरिक को चुनाव अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी

धर्म का पक्षपाती हो, या वह चाहे किसी भी धर्म मे विश्वास न रखता हो।

प्रत्येक नागरिक को वोट देने का हक है, चाहे उसके पास स्थायी रूप मे रहने के लिए मकान हो, या चाहे न हो और वह बराबर अपना निवास बदलता रहता हो। चुनाव के दिन वह जिस जिले में रहता है उसी के मतदान-केन्द्र मे अपना वोट डालता है।

उन नागरिको को भी जो सोवियत सेना या जलसेना मे काम करते है, वोट देने का अधिकार है, और जहा उनकी टुकड़ी या उनका जहाज रुका होता है वही के मतदान-केन्द्रो मे वे अपने वोट डालते है।

इस प्रकार हर वयस्क नागरिक को बिना किसी प्रकार की रोक-टोक या पाबन्दी के चुनाव अधिकार प्राप्त है।

सिर्फ ये ही लोग स्वभावत: इसके अपवाद होते है—पागल आदमी और वे व्यक्ति जिन्हे अदालत की ओर से सजा मे एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव अधिकारो से वंचित कर दिया गया हो।

सोवियत विधान मतदान के समान अधिकारो को मान्यता देता है। इसका अर्थ यह है कि सोवियतो के चुनाव मे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विशेष अधिकारो या सुविधाओं का उपभोग नही कर सकता। स्त्री और पुरुष, किसान और मजदूर, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और सशस्त्र सेनाओ मे काम करनेवाले व्यक्ति सबको समान चुनाव अधिकार प्राप्त है सभी चुनावो मे समान रूप मे भाग लेते है। प्रत्येक मतदाता को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होता है।

चुनाव अधिकारो मे समानता सोवियत समाज की नैतिक और राजनीतिक एकता को और भी दृढ करती है, मजदूरो, किसानो और बुद्धिजीवियो के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना को बढाती है और इस प्रकार सोवियत राज्य की ताकत को दुगना करती है।

सोवियत विधान में राज्य के सभी अगो और संगठनो के लिए सीधे चुनाव की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि नागरिक जिन उम्मीदवारो को पसन्द करते है, सीधे उन्ही को वोट देते है न कि 'निर्वाचको' को जो कि अन्तिम चुनाव करते है। गाव, जिला और प्रदेश की सोवियत तथा अन्य स्थानीय सोवियतो और सघीय तथा स्वायत्त जनतन्त्रो की सोवियतो और सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ की सर्वोच्च सोवियत के लिए डिपुटियो का चुनाव सीधे वोट से होता है।

सीधी मतदान प्रणाली मे सोवियत मतदाता न केवल स्थानीय सरकारी समितियो के लिए उम्मीदवारो को चुनते समय उन्हे परख सकते है, बल्कि विभिन्न सोवियत जनतन्त्रो की उच्चतर राजकीय समितियो और सोवियत सघ की सर्वोच्च राजकीय समिति के लिए उम्मीदवारो को चुनते समय भी। सीधी मतदान प्रणाली आम मतदाताओ और राज्य-शक्ति के सभी सगठनो-समितियो के बीच सम्बन्ध को दृढ करती है और उनके काम को भी अधिक विकसित करने मे मदद देती है।

सोवियत विधान सभी सोवियतो के चुनाव मे गुप्त मतदान को प्रश्रय देता है। इसका मतलब यह कि किसी को भी यह जानने का हक नही है कि मतदाता ने अपना वोट किसे दिया है। किसी को

भी, यहा तक कि चुनाव कमीशन के किसी सदस्य को भी उस कमरे मे नहीं घुसने दिया जाता जहा मतदाता अपनी चुनाव-पर्ची पर निशान बनाता है। प्रत्येक मतदाता बिलकुल अपने आप आजादी से यह निर्णय करता है कि अमुक उम्मीदवार उसका विश्वास पाने योग्य है या नही। यह प्रणाली मतदान की पूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा करती है।

सभी सोवियत नागरिको को भाषण की स्वतन्त्रता, प्रकाशन की स्वतन्त्रता, सभा और प्रदर्शन की स्वतन्त्रता प्राप्त है। अपने चुनाव अधिकारों का उपयोग करने के लिए उन्हे छापेखानो, कागज के गोदामों, रेडियो केन्द्रो, सार्वजनिक भवनो, सडको, वार्तावहन के साधनो तथा अन्य सुविधाओ का खुलकर प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

इस प्रकार सोवियत सघ की राजनीतिक और सार्वजनिक व्यवस्था नागरिको को उनके चुनाव सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारो के स्वतन्त्र और पूर्ण उपभोग की सुविधा प्रदान करती है।

डिपुटी जनता का सेवक है

सोवियत सघ का विधान यह निश्चित रूप से कहता है कि सोवियतों के सदस्यो के लिए, जिन्हे डिपुटी कहा जाता है, अपने निर्वाचकों से बराबर सम्पर्क बनाये रखना आवश्यक है। सोवियत विधान निर्वाचको को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने डिपुटी से इस बात का लेखा-जोखा माग सकें कि वह उनके

चुनाव आदेश का किस तरह पालन कर रहा है, वे उससे उस सोवियत के काम-काज की रिपोर्ट माग सकते है, जिसके लिए उसे चुना गया है।

सोवियत मतदाता अपने आप को सिर्फ इतने तक ही सीमित नही रखते कि हर कुछ सालो में सरकारी समितियो के लिए डिपुटी चुन दिये, और फिर अपने दैनिक काम-काज मे लग गये। वे बराबर अपने डिपुटियो के काम का निरीक्षण करते है, उसकी जाच करते रहते है, और अगर कोई डिपुटी सही रास्ते से अलग हट जाता है तो वे उसका कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही उसे डिपुटी के पद से वापस बुला लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करते है। सोवियत विधान की व्यवस्था है कि अगर कोई डिपुटी अपने निर्वाचको का विश्वास खो देता है, तो उसके निर्वाचको को अधिकार है कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही डिपुटी को वापस बुला ले और उसकी जगह दूसरा डिपुटी चुनकर भेज दे।

सोवियत डिपुटी जनता का सेवक होता है, अपने निर्वाचको की इच्छा का पालन करना उसका कर्तव्य होता है।

चुनाव सम्बन्धी नियम

सोवियतो के लिए होनेवाले चुनाव विशेष चुनाव अधिनियमो के अनुसार होते है, जो कि सोवियतो की विभिन्न श्रेणियो के लिये जैसे सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत, सघीय और स्वायत्त जनतन्त्रो

की सर्वोच्च सोवियतो तथा स्थानीय सोवियतो के लिए पृथक् रूप मे निर्धारित किये जाते है। ये अधिनियम सोवियत सघ के विधान और सघीय तथा स्वायत्त जनतन्त्रो के विधानो के आधार पर निर्मित है।

प्रत्येक सोवियत नागरिक जो अठारह वर्ष की वय प्राप्त कर चुका है, जाति या राष्ट्रीयता, लिग, धर्म, शिक्षा, निवास-स्थान, सामाजिक और आर्थिक स्थिति या पूर्व गतिविधि का बिना कोई खयाल किये सर्वोच्च सोवियत और दूसरी सभी सोवियतो के लिये डिपुटियो के चुनाव में वोट देने का अधिकारी है। केवल वे ही लोग वोट नही दे पाते जो या तो पागल होते है, या जिन्हे किसी अदालत द्वारा दड के रूप मे वोट देने के अधिकार से वचित कर दिया गया होता है।

प्रत्येक सोवियत नागरिक जो तेईस वर्ष की वय प्राप्त कर चुका है, जाति या राष्ट्रीयता, लिग, धर्म, शिक्षा, निवास-स्थान, सामाजिक और आर्थिक स्थिति या पूर्व गतिविधि का बिना कोई खयाल किये सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के लिए चुने जा सकने का अधिकारी है।

उन नागरिको को जो सोवियत सेना और जलसेना मे काम करते है सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के लिये प्रतिनिधि चुनने और खुद चुनाव मे खडे होने के बिलकुल वही अधिकार है जो दूसरे नागरिको को प्राप्त है।

जनतन्त्रीय विधानो के अनुसार प्रत्येक नागरिक जो इक्कीस वर्ष की वय प्राप्त कर चुका है, सघीय तथा स्वायत्त जनतन्त्रो की सर्वोच्च

सोवियतो के लिए चुने जा सकने का अधिकारी है। और प्रत्यक सोवियत नागरिक, जो अठारह वर्ष की वय प्राप्त कर चुका है, स्थानीय सोवियत का डिपुटी चुना जा सकता है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत मे दो भवन सम्मिलित है एक सघ की सोवियत और दूसरी जातियो की सोवियत। सोवियत सघ के विधान के अनुसार प्रत्येक भवन का चुनाव पृथक रूप मे होता है। सघ की सोवियत के डिपुटियो का चुनाव उन चुनाव-क्षेत्रो के नागरिक करते है जो ३,००,००० की जनसख्या के आधार पर, सारे देश मे बने हुए है। सन् १९५४ मे सघ की सोवियत के चुनाव मे ऐसे कुल ७०८ चुनाव-क्षेत्र निश्चित किये गये थे, जिनमे मे प्रत्येक मे एक डिपुटी चुना गया।

जातियो की सोवियत के डिपुटियो का चुनाव संघीय और स्वायत्त जनतन्त्रो तथा स्वायत्त प्रदेशो और जातीय क्षेत्रो के नागरिक करते है, जो इस प्रकार होता है प्रत्येक सघीय जनतन्त्र मे पच्चीस डिपुटी, प्रत्येक स्वायत्त जनतन्त्र मे ग्यारह डिपुटी, प्रत्येक स्वायत्त प्रदेश मे पाच डिपुटी और प्रत्येक जातीय क्षेत्र से एक डिपुटी।

सन् १९५४ मे जातियो की सोवियत के चुनाव मे कुल ६३९ चुनाव-क्षेत्र बनाये गये थे, जिनमे से प्रत्येक मे एक डिपुटी चुना गया।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत, सघीय तथा स्वायत्त जनतन्त्रो की सर्वोच्च सोवियतो और स्थानीय सोवियतो के चुनाव जिन चुनाव अधिनियमो के अनुसार सचालित होते है, उनकी धाराओ को देखने से पता चलता है कि सोवियत राज्य अपने सभी नागरिको को चुनाव

अधिकारो के व्यापक और वास्तविक प्रयोग का अवसर देने के लिए विशेष रूप से सतर्क है। उदाहरण के लिए अगर कोई मतदाता मतदाता-सूची के प्रकाशित होने और चुनाव की तारीख के बीच ही अपना निवास-स्थान बदल देता है, तो उसे अपने पहले के जिले की स्थानीय सोवियत से एक मतदाता प्रमाणपत्र मिलता है, जिससे वह अपने नये जिले मे वोट देने का अधिकारी हो जाता है।

मतदान-केन्द्र सुदूर उत्तर और सुदूर पूर्व के अत्यन्त दूरस्थ प्रदेशों से लेकर ऊचे पहाड़ो पर बसे गावो और खानाबदोश चरवाहो के पडावो तक मे स्थापित किये जाते है। सोवियत सेना और नौसेना में काम करनेवाले नागरिक उन चुनाव-क्षेत्रो मे अपने वोट डालते है, जहा उनकी टुकड़ी रुकी होती है, और प्रत्येक टुकडी के लिए अलग मतदान-केन्द्रो की व्यवस्था होती है। अस्पतालो, जच्चा-बच्चाघरो, सेनेटोरियम और स्वास्थ्य सुधार-केन्द्रो तथा अपग व्यक्तियो के आवासों में भी मतदान-केन्द्र कायम किये जाते है। चुनाव के दिन जो नागरिक जहाजो में होते है, या लम्बे सफर की रेलगाडियो म होते है, उनके लिए वहा भी वोट देने की सुविधा प्रदान की जाती है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत, और सघीय तथा स्वायत्त जनतन्त्रों की सर्वोच्च सोवियतो और स्थानीय सोवियतो के लिए उम्मीदवारो को नामजद करने का अधिकार मेहनतकश जनता के सभी सगठनो और सार्वजनिक संस्थाओ को प्राप्त है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के संगठनों, मजदूरो तथा अन्य कर्मचारियो की ट्रेड-यूनियनों, सहकारी समितियो और सामूहिक कृषि-फार्मो, युवक सगठनो, वैज्ञानिक,

टेकनिकल, सास्कृतिक तथा अन्य सगठनो को उम्मीदवार नामज़द करने का अधिकार है। इन सार्वजनिक सगठनो और संस्थाओ की केन्द्रीय समितियो के अलावा इनकी जनतन्त्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाए भी उम्मीदवार नामज़द कर सकती हैं। औद्योगिक तथा अन्य संस्थाओं के मज़दूरो और दूसरे कर्मचारियो की आम सभाओ, सामूहिक फार्मो के किसानो की आम सभाओ, राजकीय फार्मो के श्रमिको और दूसरे कर्मचारियो तथा सेना और नौसेना की टुकडियो के सैनिको की आम सभाओ को भी अपने उम्मीदवार नामजद करने का अधिकार प्राप्त है।

इस प्रकार सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के डिपुटियो के उम्मीदवार जनता द्वारा नामजद होते है।

अन्त मे जनता स्वय अपने प्रतिनिधियो द्वारा चुनाव के सगठन, सचालन और निरीक्षण मे भाग लेती है। सभी चुनाव कमीशन मेहनतकश जनता की सार्वजनिक संस्थाओ और संगठनो तथा मजदूरो, कर्मचारियो, किसानो और सैनिको की सभाओ के प्रतिनिधियो से ही बने होते है।

सार्वजनिक सस्थाओ और सगठनो के अधिकारिक प्रतिनिधियो तथा अखबारो के प्रतिनिधियो को चुनाव पर्चियो की गिनती के समय उपस्थित रहने का अधिकार है। उम्मीदवारो को नामजद करनेवाले सभी संगठनो तथा सभी सोवियत नागरिको को सभा, अखबार और दूसरे साधनों द्वारा अपने उम्मीदवारो के पक्ष मे स्वतन्त्रतापूर्वक चुनाव प्रचार करने का पूरा अधिकार है।

एसे चुनाव अधिकार और उनको प्रयोग म ला मकने की एमी मुविधाए जो सोवियत मघ के नागरिको को प्राप्त है, किसी पूजीवादी देश में नही है, और न हो ही मकती है। मोवियत चुनाव-व्यवस्था ससार मे सबसे अधिक प्रजातान्त्रिक है।

सोवियत विधान के अनुसार चुनाव

मेहनतकश जनता की सोवियतो के चुनाव मे सोवियत नागरिक इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाते है, और इस तरह खुलकर उसमे भाग लेते है, कि ये चुनाव एक तरह मे सार्वजनिक त्योहार की शक्ल ले लेते है। चुनाव होने की घोषणा और चुनाव तिथि के बीच काफी समय रखा जाता है, ताकि चुनाव आन्दोलन अच्छी तरह चलाया जा सके, इस दौरान मे उम्मीदवारो के बारे मे बहस मुबाहिसे और उनकी नामज़दगी के लिए सभी शहरो और देहातो म मतदाताओ की बडी-बडी सभाए होती है, जिनमे अधिक से अधिक लोग भाग लेते है।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के सबसे पहले चुनावो में जो सन १६३७ मे हुए थे, मतदाताओ की सख्या ६ करोड ४० लाख से भी अधिक थी। इनमे से ६६·८ प्रतिशत ने अपने वोट डाले थे। कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी जनो ने सयुक्त टिकिट से चुनाव लडे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्येक उम्मीदवार गैर-पार्टी लोगो द्वारा भी नामजद किया गया था और गैर-पार्टी उम्मीदवार पार्टी के सदस्यो द्वारा भी

नामजद किया गया था। इन उम्मीदवारो को डाले गये कुल वोटो का ६८·६ प्रतिशत प्राप्त हुआ था।

सन् १६३८ मे सघीय और स्वायत्त जनतन्त्रो की सर्वोच्च सोवियतो के चुनाव हुए और सन् १६३६ मे स्थानीय सोवियतो के चुनाव हुए। इन चुनावो मे कुल मतदाताओ के ६६ प्रतिशत से भी अधिक ने भाग लिया और सयुक्त कम्युनिस्ट तथा गैर-पार्टी उम्मीदवारो को अपने ६६ प्रतिशत से भी अधिक वोट दिये।

१० फरवरी १६४६ को सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत का दूसरा चुनाव हुआ। उस समय मतदाताओ की कुल सख्या १० करोड १७ लाख से भी अधिक थी, और कुल मतदाताओ के ६६·७ प्रतिशत ने अपने वोट डाले थे। इनमे से ६६ प्रतिशत से भी अधिक ने कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी पक्ष के उम्मीदवारो को अपने वोट दिये थे।

सघीय तथा स्वायत्त जनतन्त्रो की सर्वोच्च सोवियतो के दूसरे चुनावो तक, जो फरवरी १६४७ मे हुए थे, मतदाताओ की कुल सख्या १० करोड ४० लाख के लगभग पहुच गयी थी। इनमे से ६६ प्रतिशत से भी अधिक ने वोट डाले थे और वोट देने वालो मे से ६६ प्रतिशत से भी अधिक ने कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी पक्ष के उम्मीदवारो को अपने वोट दिये थे। स्थानीय सोवियतो के दूसरे चुनाव मे जनता के सर्वोत्तम प्रतिनिधियो मे से १५ लाख ८० हजार प्रतिनिधि चुने गये थे।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत का तीसरा चुनाव १२ मार्च १६५० को, और चौथा चुनाव १४ मार्च १६५४ को हुआ। सन् १६५०

मे मतदाताओ की कुल सख्या ११ करोड १० लाख से अधिक थी। सन् १९५४ में यह तादाद १२ करोड़ ७ लाख से भी अधिक हो गई। उन दोनो चुनावो मे लगभग सभी मतदाताओ ने, ९९.८ प्रतिशत ने, भाग लिया और नामज़द उम्मीदवारो को अपने वोट दिये।

सोवियत शासकीय केन्द्रो के चुनावो के महत्व के बारे मे म०इ० कलिनिन ने लिखा है:

"पूरे सोवियत सघ मे, मास्को से लेकर देश के अत्यन्त दूरस्थ भू-भागो मे, डिपुटियो की जो सख्या फैली हुई है, वह स्वयं ही इसका प्रमाण है कि सोवियत शक्ति इन डिपुटियो के जरिये सचमुच मे बहुत बडे पैमानो पर काम चलाने की क्षमता रखती है, क्योकि वास्तव में कहा जाय तो सक्रिय डिपुटी ही हमारे देश की कुल आबादी की नुमाइदगी करते है।"

एक भी पूंजीवादी देश इसका गर्व नही कर सकता कि उसके शासकीय केन्द्रो के चुनावो में क़रीब-करीब सौ प्रतिशत जनता ने भाग लिया हो और मतदाताओ में इतना मतैक्य रहा हो जैसा कि हम सोवियत संघ मे देखते है।

फिर भी पूंजीवादी देश में आज तक एक भी ऐसा उदाहरण सामने नही आया जिसमे सत्ताधारी पूंजीवादी दल ने किसी भी पार्टी मे सम्बन्ध न रखनेवाली आम जनता के साथ चुनाव गुट बनाने का साहस किया हो। पूंजीवादी पार्टिया आम जनता मे विश्वास नही रखती, वे उससे डरती है, और न आम जनता ही पूजीवादी पार्टियो पर विश्वास करती है।

सिर्फ़ कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो गैर-पार्टी जनता के साथ चुनाव गुट बनाने का साहस कर सकती है, क्योंकि इसको उसमें विश्वास है और वह भी इसपर विश्वास करती है। सिर्फ समाजवाद के ही देश मे, सच्चे प्रजातन्त्रवाद के देश सोवियत सघ मे ही, कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी लोगो के बीच का एका ऐसी शानदार चुनाव सफलता सिद्ध हो सकता है। विशाल बहु-जातीय सोवियत संघ में लगभग सभी मतदाता कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी लोगो के पक्ष को अपना वोट देते है और इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार द्वारा बरती जानेवाली नीति का समर्थन करते है।

सोवियतो के लिए होनेवाले चुनाव सोवियत जनता की गहरी नैतिक और राजनीतिक एकता के सबूत है, वे सबूत है उस एकमतता और प्रगाढ मैत्री के जो सोवियत जनता और सोवियत सरकार तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क़ायम है।

सोवियत संघ की सोवियतों के चुनाव सोवियत जनता के उस असीम विश्वास और प्रेम का एक शानदार प्रदर्शन होते है, जो वह कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं के प्रति अपने दिल मे रखती है।

सोवियत संघ में राज्य-शक्ति और राज्य-व्यवस्था की उच्चतर समितियां

सोवियत संघ का शासन कौन करता है

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के लिए सन् १९५४ में हुए चुनावो मे १,३४७ डिपुटी चुने गये। ये डिपुटी कौन हैं, जिनके हाथो मे जनता ने देश की सर्वोच्च शक्ति सौप रखी है?

ये लोग हैं सोवियत राज्य और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता, आगे बढ़े हुए मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी. कल-कारखानो और सामूहिक फार्मों के नेता, विज्ञान और कला के प्रतिनिधि, सोवियत सशस्त्र सेनाओ के सैनिक।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के डिपुटियो मे ३१८ मजदूर, २२० किसान और ८०९ बुद्धिजीवी है। इनमे से ३४८ स्त्रिया है और ११० डिपुटियों की उम्र २३ से ३० साल के बीच की है। सशस्त्र सेनाओ के सैनिको के प्रतिनिधि भी सर्वोच्च सोवियत में है।

यहा यह स्मरण करना उचित ही होगा कि जारशाही राज्य-दूमा मे जो ४३६ डिपुटी थे, उनमे से ६७ "कृषिकर्मी" (ज्यादातर कुलक) थे और सिर्फ ११ मजदूर और दस्तकार थे। शेष सभी डिपुटी या तो जमीदार और पूंजीपति थे या व्यापारी, सरकारी अफसर, पादरी वगैरह थे। उनमे सिर्फ पाच कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे - - जनता के सच्चे प्रतिनिधि, लेकिन इनको भी जारशाही सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और साइबेरिया में निर्वासित कर दिया।

सोवियत सघ की वर्तमान सर्वोच्च सोवियत के सगठन और पुरानी जारशाही के जमाने की दूमा के सगठन के ऊपर बताये गये फर्क में बडे स्पष्ट रूप से वह गहरा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो इस बीच रूस के राजनीतिक ढाचे मे हुआ है। आज सोवियत राज्य का शासन जनता के उन सर्वोत्तम प्रतिनिधियो द्वारा होता है, जो पार्टी या गैर-पार्टी लोग है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक सेवाओ से आम जनता का विश्वास प्राप्त किया है, कल-कारखानों, खानो और खेतो मे किये गये अपने अथक परिश्रम के द्वारा, विज्ञान, शिल्प, विद्या और सस्कृति के क्षेत्र में अपनी सफलताओं के द्वारा, सोवियतो की भूमि के शत्रुओ के विरुद्ध संघर्ष में अपनी वीरता के द्वारा जिन्होने जनता का विश्वास प्राप्त किया है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिकार और उसकी शक्ति क्या है, यह सोवियत सघ के विधान मे ठीक-ठीक स्पष्ट किया गया है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत

विधान के अनुसार सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ में राज्य-शक्ति की सबसे ऊंची समिति है। सोवियत सघ मे और कोई राजकीय समिति ऐसी नही है, जो शक्ति और अधिकार की दृष्टि से सर्वोच्च सोवियत से ऊंची या उसके बराबर हो। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को ही अकेले अखिल-संघीय अधिनियमो को स्वीकृत करने का अधिकार है। राज्य की और किसी समिति को यह अधिकार नही है।

अखिल-सघीय अधिनियम देश के मजदूर-वर्ग तथा अन्य सभी मेहनतकश लोगो की इच्छा का एक प्रकट रूप है। अखिल-संघीय अधिनियम संघ के सभी जनतन्त्रो पर लागू होते है और सभी राजकीय अधिकारियो, सभी संस्थाओ, संगठनो, अफसरो और साधारण नागरिको के लिए उसका पालन करना आवश्यक है। सभी सोवियत जनतन्त्रों की भाषाओ में उन्हे प्रकाशित किया जाता है।

पाठकों को इसका कुछ अन्दाज हो सके कि सर्वोच्च सोवियत के काम का देश के जीवन मे कितना बडा महत्व है, इसके लिए उन कई विशेष अधिनियमो और निर्णयो मे से कुछ का उल्लेख करना ही काफी होगा जिन्हे सर्वोच्च सोवियत ने हाल के ही कुछ सालो में स्वीकृत किया है। पश्चिमी उक्रइन और पश्चिमी बेलोरूस को सोवियत सघ मे सम्मिलित करने संबन्धी अधिनियम,

मोल्दावियाई सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना सम्बन्धी अधिनियम, लिथुआनिया, लटविया और एस्तोनिया के सोवियत समाजवादी जनतन्त्रो को सोवियत सघ मे सम्मिलित करने सम्बन्धी अधिनियम, सोवियत संघ और जनता के जनतन्त्रो के बीच मैत्री, सहयोग और परस्पर सहायता की सधियों को स्वीकृति देने संबन्धी निर्णय, सन् १९४६-५० के लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास के लिए पंचवर्षीय योजना सबन्धी अधिनियम, सोवियत संघ में युद्ध-प्रचार को मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध मानकर उसे निषिद्ध करने सम्बन्धी अधिनियम।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत को ही अकेले यह अधिकार प्राप्त है कि वह सोवियत सघ के विधान में कोई सशोधन कर सके।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को ही अकेले यह अधिकार प्राप्त है, कि वह सोवियत संघ में नये जनतन्त्रो को सम्मिलित कर सके, सघीय जनतन्त्रों की सीमा सबन्धी रद्दोबदल को और नये स्वायत्त जनतन्त्रो, नये प्रदेशो और क्षेत्रो के निर्माण को मान्यता दे सके।

सर्वोच्च सोवियत को ही अकेले यह अधिकार है कि किसी प्रश्न पर जाच-पडताल के लिए कमीशनो की नियुक्ति करे, जिनके निर्णयो का तत्सम्बन्धी सभी समितियो और अधिकारियो द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ही सोवियत संघ का राज्य बजट (वार्षिक आय और व्यय का ब्योरा) और उसको व्यवहार में लाने सम्बन्धी रिपोर्ट को स्वीकृत करती है। वही ऋण स्वीकार करती है और देती है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत विदेशी देशो से संबन्ध और युद्ध तथा शाति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेती है।

सोवियत संघ की मर्वोच्च मोवियत ही सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल का निर्वाचन करती है, सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् को नियुक्त करती है, सोवियत संघ के प्रधान सरकारी वकील को नियुक्त करती है, सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव करती है और सोवियत मंघ के विशेष न्यायालयो के मदस्यो को भी चुनती है।

जैमा कि हम पहले कह आये है, मोवियत मघ की सर्वोच्च मोवियत मे दो भवन है। उनमे से एक को सघ सोवियत और दूसरे को जातियो की सोवियत कहा जाता है।

सोवियत संघ के दोनो भवनो को समान अधिकार प्राप्त है। इनमे मे प्रत्येक को नये नियम प्रस्तावित करने के ममान अधिकार प्राप्त है, अर्थात् प्रत्येक सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख नया नियम प्रस्तावित कर सकता है, और जिमे आवश्यक समझता है ऐसे विल को बहस के लिए पेश कर मकता है। कोई अधिनियम तभी स्वीकृत समझा जाता है, जब वह दोनो भवनो द्वारा बहुमत मे स्वीकार कर लिया जाता है। मिर्फ विधान मे कोई सशोधन करने के लिए यह आवश्यक

यहा यह स्मरण करना उचित ही होगा कि जारशाही राज्य-दूमा मे जो ४३६ डिपुटी थे, उनमे से ६७ "कृषिकर्मी" (ज्यादातर कुलक) थे और सिर्फ ११ मज़दूर और दस्तकार थे। शेष सभी डिपुटी या तो जमीदार और पूंजीपति थे या व्यापारी, सरकारी अफसर, पादरी वगैरह थे। उनमे सिर्फ पाच कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे - - जनता के सच्चे प्रतिनिधि, लेकिन इनको भी जारशाही सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और साइबेरिया मे निर्वासित कर दिया।

सोवियत सघ की वर्तमान सर्वोच्च सोवियत के सगठन और पुरानी ज़ारशाही के जमाने की दूमा के सगठन के ऊपर बताये गये फर्क में बडे स्पष्ट रूप से वह गहरा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो इस बीच रूस के राजनीतिक ढाचे मे हुआ है। आज सोवियत राज्य का शासन जनता के उन सर्वोत्तम प्रतिनिधियो द्वारा होता है, जो पार्टी या गैर-पार्टी लोग है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक सेवाओ से आम जनता का विश्वास प्राप्त किया है, कल-कारखानों, खानो और खेतो मे किये गये अपने अथक परिश्रम के द्वारा, विज्ञान, शिल्प, विद्या और सस्कृति के क्षेत्र में अपनी सफलताओं के द्वारा, सोवियतो की भूमि के शत्रुओ के विरुद्ध संघर्ष में अपनी वीरता के द्वारा जिन्होने जनता का विश्वास प्राप्त किया है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिकार और उसकी शक्ति क्या है, यह सोवियत सघ के विधान मे ठीक-ठीक स्पष्ट किया गया है।

विभिन्न जातियों के इन विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व सोवियत राज्य की सर्वोच्च समिति मे जातियों की सोवियत के डिपुटियो द्वारा होता है।

इस प्रकार के ढांचे के बिना सोवियत सघ के समान एक बहु-जातीय राज्य की व्यवस्था करना असम्भव है।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के इस प्रकार के गठन के कारण सोवियत संघ की सभी जातियो को इसकी निश्चित सुविधा प्राप्त है कि राज्य की उच्चतम समिति में उनके हितों को पूर्ण रूप से और अधिक से अधिक सही ढंग से प्रकट किया जा सके। इससे सभी सोवियत जातियो के बीच मैत्री और भाईचारेपूर्ण सहयोग को अधिक से अधिक मजबूत करने मे मदद मिलती है।

सोवियत संघ की सभी भिन्न-भिन्न जातिया, जिनमें से प्रत्येक के अपने राष्ट्रीय राज्य-संगठन है, जातियो की सोवियत में अपने प्रतिनिधियो द्वारा देश की सर्वोच्च अधिकार-प्राप्त समिति के सामने अपनी मागों और दूसरी आवश्यकताओ को सीधे पेश कर सकती है, अपने विशिष्ट हितो को व्यक्त कर सकती है, नये क़ानून प्रस्तावित कर सकती है और सम्पूर्ण राज्य से सम्बन्धित समस्याओ के समाधान में भाग ले सकती है।

सघ सोवियत और जातियो की सोवियत दोनो से मिलकर ही देश की राज्य-शक्ति की एकमात्र उच्चतम समिति—सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ की सर्वोच्च सोवियत का निर्माण होता है, जो सभी सोवियत जातियो की इच्छा-आकाक्षा को व्यक्त करती है।

यहा यह स्मरण करना उचित ही होगा कि जारशाही राज्य-दूमा मे जो ४३६ डिपुटी थे, उनमे से ६७ "कृषिकर्मी" (ज्यादातर कुलक) थे और सिर्फ ११ मज़दूर और दस्तकार थे। शेष सभी डिपुटी या तो जमीदार और पूंजीपति थे या व्यापारी, सरकारी अफसर, पादरी वगैरह थे। उनमे सिर्फ पाच कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे - - जनता के सच्चे प्रतिनिधि, लेकिन इनको भी जारशाही सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और साइबेरिया में निर्वासित कर दिया।

सोवियत सघ की वर्तमान सर्वोच्च सोवियत के सगठन और पुरानी ज़ारशाही के जमाने की दूमा के सगठन के ऊपर बताये गये फर्क में बडे स्पष्ट रूप से वह गहरा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो इस बीच रूस के राजनीतिक ढाचे मे हुआ है। आज सोवियत राज्य का शासन जनता के उन सर्वोत्तम प्रतिनिधियो द्वारा होता है, जो पार्टी या गैर-पार्टी लोग है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक सेवाओ से आम जनता का विश्वास प्राप्त किया है, कल-कारखानों, खानो और खेतो मे किये गये अपने अथक परिश्रम के द्वारा, विज्ञान, शिल्प, विद्या और सस्कृति के क्षेत्र में अपनी सफलताओं के द्वारा, सोवियतो की भूमि के शत्रुओ के विरुद्ध संघर्ष में अपनी वीरता के द्वारा जिन्होने जनता का विश्वास प्राप्त किया है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिकार और उसकी शक्ति क्या है, यह सोवियत सघ के विधान मे ठीक-ठीक स्पष्ट किया गया है।

जाय तो उच्च भवन प्रगति के मार्ग में एक रुकावट की तरह होते हैं।

इस तरह की कोई चीज सोवियत संघ मे नही है और न हो ही सकती है। सोवियत मघ के दोनो भवनों को समान अधिकार-प्राप्त है। जातियो की सोवियत सोवियत सघ की एकमात्र उच्चतम समिति सर्वोच्च सोवियत मे स्वाधीन सोवियत जातियो के विशेष हितो का प्रतिनिधित्व करती है और उनको व्यक्त करती है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल

सर्वोच्च सोवियत अपनी नियमित बैठको मे अपना कार्य करती है। इस तरह की कई बैठके मिलकर एक अधिवेशन पूरा करती है, और ऐसे अधिवेशन प्रति वर्ष दो बार होते है। जरूरत पडने पर असाधारण अधिवेशन भी किये जा सकते है। अधिवेशन की समाप्ति के बाद सभी डिपुटी विसर्जित होकर अपने-अपने दैनिक कार्यो में जा लगते है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिवेशनो के बीच की अवधि मे सरकार का दैनंदिन काम चलाने के लिए सोवियत संघ को एक ऐसी अतिरिक्त उच्चतर राज्य-समिति की आवश्यकता रहती है, जो स्थायी रूप से काम करती रहे।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मडल इसी समिति का काम देता है।

इस सभापति-मडल का चुनाव सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के दोनो भवनो की सयुक्त बैठक मे सदस्यो मे से ही होता है। सभापति-मडल में एक अध्यक्ष, पद्रह उपाध्यक्ष (संघीय जनतन्त्रों की सख्या के अनुसार), एक मत्री और पन्द्रह सदस्य होते है। सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल अपनी सारी कार्यवाही के लिए सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख उत्तरदायी है।

प्रथम सर्वोच्च सोवियत ने सन् १९३८ मे अपने आरम्भिक अधिवेशन में लेनिनग्राद चुनाव-क्षेत्र के डिपुटी म०इ० कालिनिन को सभापति-मडल का अध्यक्ष चुना था। उनके माता-पिता किसान थे, लेकिन उन्होने एक कारखाने मे मजदूर का काम किया था। वे सन् १९१९ से लेकर १९४६ तक सोवियत राज्य की उच्चतम समिति के अध्यक्ष थे। सन् १९४६ मे चुनी गयी सर्वोच्च सोवियत के प्रथम अधिवेशन मे म० इ० कालिनिन ने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण सभापति-मडल के अध्यक्ष पद से छुट्टी की इजाजत चाही। सर्वोच्च सोवियत ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन उन्हे सभापति-मडल का सदस्य चुन लिया। ३ जून १९४६ को म०इ० कालिनिन की मृत्यु हुई। वे अत्यन्त लोकप्रिय थे और सोवियत सघ की जनता उन्हे बेहद प्यार करती थी।

म०इ० कालिनिन के अवकाश ग्रहण करने पर सर्वोच्च सोवियत ने स्वेर्दलोव चुनाव-क्षेत्र के डिपुटी न० म० श्वेर्निक को जो एक

मजदूर रह चुके हैं सर्वसम्मति से सभापति-मडल का अध्यक्ष चुन लिया ।

१५ मार्च, १९५३ को हुए अपने अधिवेशन में सर्वोच्च सोवियत ने न०म० श्वेर्निक को एक अन्य पद पर नियुक्त हो जाने के कारण अध्यक्ष के कार्यभार से मुक्त कर दिया और उनके स्थान पर क०ए० वोरोशिलोव को चुन लिया, जो एक मजदूर रह चुके हैं तथा लेनिन के शिष्य हैं और उनके साथी रहे हैं।

सन् १९५४ मे चुनी गयी सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत ने अपने प्रथम अधिवेशन मे क०ए० वोरोशिलोव को फिर सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मडल का अध्यक्ष चुना है।

सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल के अधिकार विधान मे निश्चित किये गये हैं। सभापति-मडल सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन बुलाता है और उसका कार्यकाल समाप्त होने पर उसके लिए नये चुनावो का आदेश देता है।

सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल समाप्त होने के पहले उसे भग करने का कोई अधिकार नही है, केवल उन विशेष अवसरो को छोडकर जिनका उल्लेख सोवियत सघ के विधान की ४७ वी धारा मे किया गया है, जब कि सघ सोवियत और जातियो की सोवियत के बीच मतभेद पैदा हो जाता है और दोनो किसी समझौते पर पहुचने मे असफल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति मे सभापति-मडल सर्वोच्च सोवियत को उसके कार्यकाल के समाप्त न होने पर भी भग कर सकता है और नये चुनावो का आदेश दे सकता है।

सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मडल आदेश (डिक्री) भी निकालता है, जो सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकृत अधिनियमों की ही भाति सभी सोवियत जनतन्त्रो में समान रूप से लागू होते है। लेकिन इन आदेशो के लिए प्रचलित अखिल-सघीय अधिनियमो पर आधारित होना आवश्यक है और यह भी जरूरी है कि ये सोवियत सघ के विधान द्वारा सभापति-मडल को दिये गये अधिकारो की सीमा मे हों। एक आदेश और एक अधिनियम मे यही अन्तर है।

सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल द्वारा निकाले गये आदेशो मे से उदाहरण के लिए उस आदेश को लिया जा सकता है. जिसके द्वारा उसने राज्य मे श्रम शक्ति के सचय की आज्ञा दी थी, अर्थात्, यह आदेश दिया था कि लड़को और लडकियों को उद्योगधधो, यातायात, गृह-निर्माण और वार्तावहन के कार्यों के विशेषज्ञ कार्यकर्ता बनने की ट्रेनिंग दी जाय। इसके लिए कारखाने, रेलवे और दूसरे कारबार की शिक्षा देने के लिए विशेष स्कूल स्थापित किये गये।

दूसरे एक और आदेश का उदाहरण लिया जा सकता है, जो राजकीय और सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति तथा नागरिको की निजी सम्पत्ति की सुरक्षा मे सबन्धित है। हम उस आदेश को भी उदाहरण स्वरूप ले सकते है जो गर्भिणी माताओ, बडे परिवारो की माताओ को राज्य द्वारा दी जानेवाली सहायता में वृद्धि करने मे संबंधित है। सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल सैनिक और श्रम संबंधी महत्वपूर्ण सेवाओ के लिए उपाधिया और पदक प्रदान करता है, यह सर्वविदित है।

सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मडल अखिल-संघीय अधिनियमो की व्याख्या करता है, मतलब यह कि उनके उद्देश्यो को स्पष्ट करता है, उनसे पैदा होनेवाले कर्तव्यो को बताता है और उनमे निश्चित धाराओ को ठीक से काम मे लाने के तरीके समझाता है।

सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मडल मतगणना भी कराता है, अर्थात् किन्ही विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नो के सबध मे प्रस्तावित नियमो को विचार-विनिमय के लिए और उनपर जनता का मत प्राप्त करने के लिए जनता के सामने पेश करता है।

सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मडल सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओ के उच्च अधिकारियो को नियुक्त और बरखास्त भी करता है। देश की सुरक्षा के विचार से या सार्वजनिक सुव्यवस्था और राज्य की हिफाजत के लिए यह खास-खास इलाको में या पूरे सोवियत संघ मे सैनिक शासन लागू कर सकता है और सीमित या पूरे पैमाने पर अनिवार्य सैनिक-भर्ती जारी कर सकता है।

अत्यन्त आवश्यक और फौरी जरूरत के मामलो में सभापति-मडल को निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसे अवसर पर जब कि सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन चालू न हो। इस प्रकार जब सोवियत सघ पर सैनिक आक्रमण हुआ हो, या सोवियत संघ को आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा के लिए की गयी अतर्राष्ट्रीय सधियों की शर्तो को निभाना हो तो सभापति-मंडल को अधिकार है कि वह युद्ध स्थिति की घोषणा कर दे।

सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल ने सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए अपने इस अधिकार का प्रयोग उस दिन किया था, जब फासिस्ट जर्मनी ने एकाएक सोवियत संघ के खिलाफ राक्षसी हमला बोल दिया था। उस समय सभापति-मंडल ने चार आदेश जारी किये थे : (क) सैनिक शासन की घोषणा, (ख) कई इलाकों में सैनिक सेवा के योग्य नागरिकों की अनिवार्य भर्ती, (ग) कई जनतन्त्रों, प्रदेशों और विभिन्न नगरों में सैनिक शासन की स्थापना, (घ) सैनिक शासन के अन्तर्गत क्षेत्रों और युद्धक्षेत्र में सैनिक अदालतों की स्थापना।

जब कि सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, ऐसे समय सभापति-मंडल को अधिकार है कि मंत्रियों को बरखास्त कर सके और नये मंत्रियों को नियुक्त कर सके, नये मंत्रालय बना सके और नये शासकीय क्षेत्र और इलाके कायम कर सके। ऐसे आदेश सर्वोच्च सोवियत के अगले अधिवेशन में स्वीकृति के लिए पेश कर दिये जाते हैं।

इस प्रकार सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल को मिले हुए अधिकार, जिन परिस्थितियों में उनका उपयोग होता है उन्हें देखते हुए, पूर्णत: न्यायसंगत है। यह कहने की जरूरत नहीं कि शत्रु द्वारा देश पर आक्रमण किये जाने के अवसर पर भी युद्ध-स्थिति की घोषणा को तब तक के लिए रोकना असम्भव है जब तक कि सर्वोच्च सोवियत की बैठक नहीं होती, और न इस कारण अत्यन्त आवश्यक राजकीय समितियों का निर्माण ही टाला जा सकता है।

सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल को अधिकार है कि सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् या संघीय जनतन्त्रो की मंत्री-परिषदों के निर्णयों को रद्द कर दे अगर उनके वे निर्णय और आदेश कानून के मुताबिक नही है और उससे मेल नही खाते।

सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल सोवियत सघ के विशेष सम्मानो (पदवियो और पदको) को निश्चित करता है तथा सैनिक पदवियो और दूसरे विशेष खिताबो को प्रचलित करता है। वह सोवियत सघ की राष्ट्रीय पदवियां और पदक भी प्रदान करता है। सोवियत संघ की अदालतो द्वारा सज़ा पाये हुए व्यक्तियो को क्षमादान देने का भी उसे अधिकार है।

विदेशी राष्ट्रो से संबंधित प्रश्नों के सबंध में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल को महत्वपूर्ण अधिकार-प्राप्त है। सभापति-मंडल दूसरे देशों से हुई संधियो को स्वीकृत और भंग करता है, दूसरे देशो के लिए सोवियत सघ के कूटनीतिक प्रतिनिधियो को नियुक्त करता है तथा उनको वापस बुलाता है और विदेशी राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ के लिए नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्र और उनकी वापसी के कागज़ात स्वीकार करता है।

इस प्रकार, प्राप्त अधिकारो के आधार पर सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल सोवियत संघ में राज्य शक्ति की उच्चतम और स्थायी रूप से कार्यरत समिति है। इसका चुनाव

सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है और यह अपनी सभी कार्रवाइयों के लिए उसके सम्मुख उत्तरदायी है।

पूजीवादी देशों में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मडल की तरह की राज्य-समितियां नही होती। वहां राज्य की अध्यक्षता कोई एक व्यक्ति करता है (राष्ट्रपति, राजा वगैरह)।

सोवियत राज्य की अध्यक्षता कोई एक व्यक्ति नही बल्कि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की एक समिति (सभापति-मंडल) करती है, जिसमे ३३ सदस्य है, यह पूरी की पूरी समिति सोवियत संघ के राष्ट्रपति या अध्यक्ष का काम करती है। इससे वे स्थायी और सही माने में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त और अधिक स्पष्ट हो जाते है, जिनके आधार पर सोवियत सघ मे राज-काज की ऊंची समितियो का निर्माण हुआ है।

सोवियत संघ की मंत्री-परिषद्

सोवियत संघ में दूसरी स्थायी रूप से कार्यरत रहनेवाली राज-काज की सबसे ऊंची समिति है सोवियत सघ की मत्री-परिषद्, जो कि सोवियत संघ की सरकार भी कही जाती है।

सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् का निर्माण सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के दोनो भवनों की संयुक्त बैठक में होता है।

सोवियत सघ की चौथी बार चुनी गयी सर्वोच्च सोवियत का जो दूसरा अधिवेशन ८ फ़रवरी १९५५ को हुआ था, उसमें सोवियत सघ की मंत्री-परिषद् के प्रधान के पद पर न०अ० बुल्गानिन

की नियुक्ति को मंज़ूर किया गया था। वह महान लेनिन के योग्य अनुयायी रहे हैं।

सोवियत संघ की सरकार अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है, जिसने उसे चुना है। सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनों के बीच की अवधि मे सोवियत सरकार अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन मे जो प्रश्न डिपुटियों द्वारा सरकार से या व्यक्तिगत मंत्रियों से पूछे जाते है, उनका उत्तर तीन दिन के भीतर मौखिक या लिखित रूप से देना आवश्यक है।

मंत्री-परिषद् के अधिकारों और उसके संगठन की व्याख्या विधान मे की गयी है।

सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् प्रचलित अखिल-संघीय अधिनियमो के अनुसार और उनके आधार पर ही अपने निर्णय और आदेश जारी करती है और उनके प्रयोग का लेखा-जोखा रखती है। उसके निर्णय और आदेश सम्पूर्ण सोवियत भूमि में लागू होते हैं।

सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् को इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौपे गये हैं, जैसे, सार्वजनिक व्यवस्था को क़ायम रखना; राज्य के हितों की रक्षा करना; नागरिकों के अधिकारों की हिफ़ाज़त करना; सैनिक सेवा के लिए बुलाये जाने वाले नागरिकों की वार्षिक संख्या निश्चित करना; सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं की व्यवस्था

को निर्देशित करना और विदेशी राष्ट्रो से स्थापित सबंधो को नियंत्रित करना।

सोवियत संघ की मत्री-परिषद् को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की देखरेख से सबंधित महत्वपूर्ण अधिकार सौपे गये है। यह सोवियत संघ की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओ और राज्य के बजट को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करती है, और देश की जमा-पूंजी तथा मुद्रा-व्यवस्था को भी सुदृढ करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करती है। इसके उदाहरण के लिए हम राजकीय ऋणों के वितरण, मवेशियों के विकास के लिए बनी तीन वर्षीय योजना, वोल्गा और ड्नीपर नदियों पर भीमकाय जल-विद्युत केन्द्रों का निर्माण आदि-आदि के सम्बन्ध में मंत्री-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयो को ले सकते है।

सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् सोवियत सघ के मंत्रि-विभागो और अपने अधिकार-क्षेत्र की अन्य समितियों के सारे काम का संचालन करती है और उसे आपस में सम्बद्ध करती है। (राष्ट्रीय अर्थतंत्र की दीर्घकालीन योजना बनानेवाली राजकीय समिति, राष्ट्रीय अर्थतंत्र की चालू योजना के लिए राजकीय आर्थिक समिति और निर्माण समिति जैसी समितियां मंत्री-परिषद् के अधिकार-क्षेत्र में आती हैं)

विभिन्न मंत्रालयों के सुपुर्द राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और शासन संचालन संबंधी कई प्रकार के कार्य है। सोवियत संघ में इस प्रकार के मंत्रालयो मे से कुछ के नाम ये है: सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक

सबध मंत्रालय, वैदेशिक व्यापार मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, रेलवे मत्रालय, भारी यत्र निर्माण उद्योग मत्रालय, कृषि मंत्रालय।

प्रत्येक मत्री शासन-व्यवस्था के उस विभाग के सचालन का, जो उसे सौपा गया है, एकमात्र अधिकारी है और सहायको का एक दल उसके मातहत काम करता है। वह अपने विभाग से संबंधित कार्यों के लिए आदेश और सूचनाए निकालता है।

सोवियत संघ की मत्री-परिषद् को अधिकार है कि सोवियत संघ के विभिन्न मत्रियो द्वारा दी गयी आज्ञाओ और जारी की गई सूचनाओ को रद्द कर दे और सघीय जनतन्त्रो की मत्री-परिषदो के उन निर्णयो और आदेशो को भी मुलतवी कर दे जिनका शासन और अर्थ-व्यवस्था के उन भागो से सम्बध है जो विधान के अन्तर्गत सोवियत सघ के आधीन है।

इस प्रकार, सोवियत सघ की मत्री-परिषद् सोवियत सघ मे राज्य की उच्चतम कार्यकारिणी और शासकीय समिति है।

इससे पता चलता है कि सोवियत सघ की सरकार को इतने विस्तृत अधिकार-प्राप्त है कि वह देश के राज-काज को, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और पूरे देश के जीवन को सचालित और व्यवस्थित कर सके।

सोवियत सघ के मूलभूत सिद्धात मे, उसके विधान मे, मंत्री-परिषद् के अधिकारो को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है, उसकी सारी गतिविधि प्रचलित अधिनियमो पर आधारित और उन्हे व्यवहार मे लाने के उद्देश्य से प्रेरित होती है। मंत्री-परिषद्

अपने कार्यों के लिए सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत और उसके सभापति-मडल के प्रति उत्तरदायी है।

सोवियत सघ की मत्री-परिषद् अखिल-सघीय अधिनियमो मे अभिव्यक्त सोवियत जनता की इच्छा का पालन करती है।

अपने गठन मे और अपने द्वारा किये जानेवाले कार्यों मे सोवियत सरकार उन सरकारो से बिलकुल ही भिन्न है जो जारशाही जमाने मे रूस मे थी और आजकल पूजीवादी देशो मे स्थापित है।

जारशाही रूस मे राज्य की सारी शक्ति और शासन वैधानिक रूप से जार के हाथ मे थे। वास्तव मे सारे अधिकारो का प्रयोग और राज्य का शासन जार के नाम से अफसरो द्वारा होता था, जिससे सरमायादारो और जमीदारो के हितो की रक्षा होती थी। पुराने रूस मे नौकरशाही और अफसरो के खूखार दमन का राज्य था।

सभी पूजीवादी देशो मे भी राज्य की शक्ति और शासन एक शक्तिशाली नौकरशाही की मुट्ठी मे होता है, जो जनता से अलग, उससे ऊपर होती है। इस नौकरशाही की पीठ पर बडे-बडे पूजीपतियो के संगठनो और बैको का जोर रहता है। असल मे वे ही देश के असली शासक होते है, चाहे उस देश मे राजतन्त्र हो या प्रजातन्त्र। असल मे वे ही अपने देश की सरकार के गठन के सम्बन्ध मे निर्णय करते है, यही नही, वे दूसरे देशो, उनसे अधीन देशो की सरकारो को भी प्रभावित करते है।

इस तरह की कोई बात सोवियत राज्य में नहीं है और न हो ही सकती है। सोवियत सरकार जो कि मज़दूरो और किसानो की सरकार है मेहनतकश जनता के हितों की रक्षा करती है। इसका निर्वाचन जनता के सर्वोत्तम प्रतिनिधियो द्वारा होता है और उन्ही के प्रति यह उत्तरदायी और जवाबदेह है।

यही कारण है कि सोवियत सरकार को, उसके नेताओ को, सारी जनता का पूर्ण विश्वास और निर्विरोध समर्थन प्राप्त है।

सोवियत समाजवादी जनतंत्रों में राज्य-शक्ति और राज्य-व्यवस्था की उच्चतर समितियां

संघीय जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत और उसका सभापति-मंडल

प्रत्येक सघीय जनतन्त्र का अपना विधान, अपना मूलभूत सिद्धांत, होता है, जो उस जनतन्त्र की प्रमुख विशेषताओ को प्रकट करता है और साथ ही सोवियत संघ के विधान का भी पूर्ण रूप से समर्थन करता है।

संघीय जनतन्त्रो की उच्चतर राजकीय समितियो के अधिकार सोवियत संघ के विधान मे और सघीय जनतन्त्रो के विधानों मे भी स्पष्ट कर दिये गये हें।

संघीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रो की उच्चतर समितियों का निर्माण सोवियत संघ की उस प्रकार की समितियो की ही भांति होता है।

प्रत्येक संघीय जनतन्त्र की एक सर्वोच्च सोवियत होती है, जो उस जनतन्त्र में राज्य शक्ति की उच्चतम समिति मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ

की सर्वोच्च सोवियत सोवियत संघ में राज्य शक्ति की उच्चतम समिति मानी जाती है।

प्रत्येक संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत का चुनाव चार वर्ष की अवधि के लिए नागरिकों द्वारा सार्वभौम, समान और सीधी चुनाव प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत से भिन्न रूप में सघीय जनतन्त्रों की सर्वोच्च सोवियतों में केवल एक भवन ही होता है। संघीय जनतन्त्रों को दो भवनो की आवश्यकता नही होती, क्योकि प्रत्येक स्वायत्त जनतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश या जातीय क्षेत्र, जो उस संघीय जनतन्त्र में पड़ता है, अपने प्रतिनिधियो को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की जातियों की सोवियत मे भेजता है और उन्हीं के ज़रिये वह अपने विशिष्ट राष्ट्रीय हितो को सोवियत संघ की उच्चतम राजकीय समिति मे सीधे-सीधे व्यक्त कर सकता है।

संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत ही जनतन्त्र की एकमात्र विधान निर्मात्री समिति है।

कोई अधिनियम साधारण बहुमत प्राप्त करने पर स्वीकृत समझा जाता है। लेकिन विधान मे किये जानेवाले संशोधनों के लिए दो तिहाई बहुमत का होना आवश्यक है। संघीय जनतन्त्र के अधिनियम उसकी पूरी सीमा मे लागू होते हैं।

संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत को जनतन्त्र का विधान स्वीकृत और संशोधित करने का तथा संघीय जनतन्त्र के अन्तर्गत स्थित स्वायत्त जनतन्त्रो के विधानो को मान्यता प्रदान करने और

उनकी सीमा निर्धारित करने का अधिकार है, जनतन्त्र की आर्थिक योजना और बजट को स्वीकार करने और विदेशी राज्यो से सीधे संबंध स्थापित करने तथा उनसे समझौते करने और उनसे प्रतिनिधियो का आदान-प्रदान करने का अधिकार है, तथा अपनी निजी सैनिक टुकड़ियो को रखने और उनके सगठन के रूप को निर्धारित करने का अधिकार है।

सघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत अपने सभापति-मंडल को निर्वाचित करती है, जनतन्त्र की मत्री-परिषद् को नियुक्त करती है और अपने सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव करती है।

संघीय जनतन्त्रो के विधानो मे स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक संघीय जनतन्त्र अपने से संबंधित सभी मामलो मे राज्य शक्ति का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, सिर्फ उन मामलो को छोड कर जो सोवियत सघ के विधान के अनुसार सोवियत संघ की राजकीय समितियों के अधिकार-क्षेत्र मे आते है।

संघीय जनतन्त्रो की उच्चतर राजकीय समितिया जो काम करती है उनमें ये भी है : राष्ट्रीय अर्थतत्र, शिक्षा, गृह-निर्माण, म्युनिसिपल विकास कार्य, नगरो और गावो का निर्माण, स्थानीय यातायात और वार्तावहन, सडक निर्माण, सामाजिक बीमा, पूरे राज्य के लिए और स्थानीय कर तथा दूसरे राजकीय आय के कर इत्यादि (अखिल-संघीय कानूनो के आधार पर) लगाने वगैरह के काम को सचालित करना, तथा जनतन्त्र के न्यायालयो की स्थापना करना।

संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल उस जनतन्त्र की उच्चतम स्थायी रूप मे कार्यरत राजकीय समिति होता

है। उसका निर्वाचन संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है और वह अपनी कार्रवाइयो के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मंडल ही उसका सामूहिक अध्यक्ष होता है। संघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत के सभापति-मंडल का रूप और उसके अधिकार उस जनतन्त्र के विधान में स्पष्ट रूप से निश्चित है।

संघीय जनतंत्र की मंत्री-परिषद्

प्रत्येक सघीय जनतन्त्र की अपनी मत्री-परिषद् होती है, जो कि उस जनतन्त्र की व्यवस्था और शासन संबधी उच्चतम राजकीय समिति यानी उसकी सरकार होती है। उस जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत इसे नियुक्त करती है। और यह अपने कार्यो के लिए सर्वोच्च सोवियत और उसके सभापति-मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।

एक संघीय जनतन्त्र की मत्री-परिषद् को निर्णयो और आदेशों को जारी करने और उनके प्रयोग की देखभाल करने का अधिकार है। ये आदेश और निर्णय अखिल-सघीय कानूनो तथा उस जनतन्त्र के कानूनो पर आधारित और उन्ही के अनुसार होते है तथा सोवियत संघ की मत्री-परिषद् के निर्णयो और आदेशो पर भी आधारित होते है। सघीय जनतन्त्र की मंत्री-परिषद् को अधिकार है कि स्वायत्त जनतन्त्रो की मत्री-परिषदो तथा इलाको, प्रदेशो और स्वायत्त

प्रदेशो के श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियों की सोवियतो के निर्णयो और आदेशो को मुअत्तल कर सके और इन सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों के निर्णयो और आदेशों को रद्द कर सके।

प्रत्येक संघीय जनतन्त्र के अपने मंत्रालय होते है, जैसे, जन-शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक बीमा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, कृषि मंत्रालय।

सघीय जनतन्त्र के मंत्रीगण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और शासन-व्यवस्था के उन विभागो के कार्य का सचालन करते है जो उस जनतंत्र के अधिकार-क्षेत्र मे आते है। वे अपने विभागो के काम-काज के सम्बन्ध में निर्णय और आदेश निकालते है, जो प्रचलित अखिल-संघीय कानूनों और उस जनतन्त्र के क़ानूनो के अनुसार और उनपर आधारित होते है। इस कार्य के लिए वे सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् के निर्णयो और आदेशो तथा अपने सघीय जनतन्त्र की मंत्री-परिषद् और सोवियत संघ के तत्सबधी मंत्रालयो के निर्णयो और आदेशो से निदेश ग्रहण करते है।

स्वायत्त जनतंत्र की उच्चतर राजकीय समितियां

प्रत्येक स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का अपना विधान होता है, जो उस स्वायत्त जनतन्त्र की प्रमुख विशेषताओ पर पूरा ध्यान देता है और उस संघीय जनतन्त्र के विधान का पूरा समर्थन करता

है, जिसका कि वह (स्वायत्त जनतन्त्र) एक अंग होता है। प्रत्येक स्वायत्त जनतन्त्र की अपनी कार्यकारी शासन और व्यवस्था सबंधी उच्चतर समितिया होती है। इन समितियो का निर्माण सघीय जनतन्त्रो की उसी प्रकार की समितियो की भाति होता है।

स्वायत्त जनतन्त्रो की उच्चतर राजकीय समितियो के सगठन, उनके अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख उनके अपने विधान और उनसे संबधित संघीय जनतन्त्र के विधान मे स्पष्ट रूप से किया गया है।

किसी स्वायत्त जनतन्त्र मे राज्य शक्ति की उच्चतम समिति और एकमात्र व्यवस्थापक सभा उसकी अपनी सर्वोच्च सोवियत ही होती है। इसका चुनाव स्वायत्त जनतन्त्र के नागरिको द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए सार्वभौम, समान और सीधी चुनाव प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है।

स्वायत्त जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत जनतन्त्र के विधान को स्वीकार करती है, जनतन्त्र मे क्षेत्रीय व्यवस्थापक विभाग का निर्माण करती है, उसके बजट और उसकी राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को स्वीकार करती है तथा जनतन्त्र की सम्माननीय पदवियो को प्रदान करती है। स्वायत्त जनतन्त्र के विधान और उसके क्षेत्रीय व्यवस्थापक विभाग के लिए आवश्यक है कि उसे स्वीकृति के लिए उस सघीय जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख पेश किया जाय जिससे वह स्वायत्त जनतन्त्र सबद्ध है।

स्वायत्त जनतन्त्र की सर्वोच्च सोवियत का सभापति-मडल ही उस जनतन्त्र की स्थायी रूप से कार्यरत उच्चतम राजकीय समिति है।

इसका निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है और अपनी सारी गतिविधि के लिए वह उसके प्रति उत्तरदायी होती है।

स्वायत्त जनतन्त्र की कार्यकारिणी और शासन सबधी उच्चतम राजकीय समिति उसकी मत्री-परिषद् होती है। यह सोवियत सघ के कानून, अपने सघीय जनतन्त्र के कानून और स्वय अपने स्वायत्त जनतन्त्र के कानून के आधार पर, और सोवियत सघ, तथा सघीय जनतन्त्र की सरकारो के निर्णयो और आदेशो के आधार पर अपने निर्णय और आदेश जारी करती है।

स्वायत्त जनतन्त्र की मत्री-परिषद् का एक प्रमुख कार्य है श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियो की स्थानीय सोवियतो की कार्य-समितियो की गतिविधियो को निर्देशित और नियत्रित करना। स्वायत्त जनतन्त्र की मत्री-परिषद् को सोवियतो की नगर और जिला कार्य-समितियो के निर्णयो और आदेशो को रद्द करने और खुद सोवियतो के निर्णयो और आदेशो को मुअत्तल करने का अधिकार-प्राप्त है।

स्वायत्त जनतन्त्रो के अपने मंत्रालय होते है कृषि मत्रालय, अर्थ मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, न्याय मत्रालय, जन-स्वास्थ्य मंत्रालय, जन-शिक्षा मंत्रालय, स्थानीय उद्योग मत्रालय। किसी स्वायत्त जनतन्त्र के मंत्रीगण, उस जनतन्त्र की मत्री-परिषद् और जिससे वह संबद्ध है उस सघीय जनतन्त्र के उन्ही मत्रालयो के आधीन होते है।

सोवियत राज्य-शक्ति की स्थानीय समितियां

सोवियत जनतन्त्रों की शासन-व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए देश को जिलों, क्षेत्रों, प्रदेशों और इलाको में विभाजित किया गया था।

क्षेत्रीय व्यवस्था संबंधी इस विभाजन के समय सोवियत सरकार ने प्रत्येक जनतन्त्र की आर्थिक स्थिति और उसके निवासियों की राष्ट्रीय विशेषताओं, उनकी संस्कृति और उनके जीवनयापन के ढंग का खास तौर से ध्यान रखा था। यह विभाजन इस प्रकार किया गया था कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सुनियोजित विकास और स्थानीय शासन में सुविधा हो सके और जनता की भौतिक और सास्कृतिक आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके।

स्थानीय विशेष परिस्थितियो के कारण विभिन्न जनतन्त्रों में क्षेत्रीय व्यवस्था संबंधी विभाजन भिन्न है। इस विभाजन के मूल क्षेत्र है प्रदेश जो कि फिर से ज़िलों में विभाजित किये गये है। प्रत्येक इलाक़े,

प्रदेश, क्षेत्र, जिले, नगर और गांव में श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियों की एक सोवियत होती है, जो दो वर्ष की अवधि के लिए सार्वभौम, समान और सीधी चुनाव प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुनी जाती है।

श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियो की सोवियतें राज्य-शक्ति की काफी विस्तृत और फैली हुई समितियां है। इतना ही कहना काफी होगा कि सन् १९५५ में स्थानीय सोवियतों के चुनाव के समय स्थानीय सोवियतो की सख्या लगभग ६० हजार थी।

सन् १९५५ मे स्थानीय सोवियतो के लिए हुए चुनावों मे कुल १५०० हजार से अधिक डिपुटी चुने गये थे। इनमें से पाच लाख से अधिक स्त्रियां थी। ये आकड़े सोवियत व्यवस्था के गहरे प्रजातांत्रिक रूप के स्पष्ट और विश्वासनीय प्रमाण है।

सोवियत सरकार ने हमेशा स्थानीय सोवियतों को प्रमुख महत्व दिया है। लेनिन ने कहा है कि रूस मे समाजवादी क्राति की सफलताओं का कारण यह है कि सोवियत सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत शक्ति के स्थानीय केन्द्रों पर खास तौर से ध्यान दिया है। इसे आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि केन्द्रीय अधिकारियो के आदेशों और निर्णयों को स्थानीय सोवियते ही व्यवहार में प्रयुक्त करती है, उनका संबंध सीधे जनता से होता है और सीधे उसी से उनको काम पड़ता है, और उनके काम-काज के ही द्वारा जनता सोवियत शासन की योग्यता का निर्णय करती है।

सोवियत विधान ने प्रादेशिक सोवियतो से लेकर ग्राम सोवियतों

तक सभी स्थानीय सोवियतो को सभी प्रकार के स्थानीय, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलो के संचालन और उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार सौपे है।

सन् १६३६ में स्वीकृत सोवियत विधान ने स्थानीय सोवियतो के अधिकारो और कर्तव्यो को और अधिक विस्तृत किया है तथा अधिक स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से उनका उल्लेख किया है, जिसमे उनकी उस प्रमुख भूमिका पर जोर दिया गया है, जो वे स्थानीय आर्थिक और सास्कृतिक विकास के दौरान मे अदा करती है, तथा इस प्रकार उन्हे इस विकास को आगे बढाने के लिए और अधिक उत्तरदायी बना दिया है।

श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियो की सोवियते अपने मातहत शासकीय समितियों के कार्य को सचालित करती है, सार्वजनिक सुव्यवस्था को क़ायम करती है और कानूनो के पालन तथा नागरिको के अधिकारो की रक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, स्थानीय आर्थिक और सास्कृतिक मामलो को सचालित करती है तथा स्थानीय बजट तैयार करती है।

सोवियत सघ के अधिनियमो और सघीय तथा स्वायत्त जनतंत्रो के अधिनियमो द्वारा प्राप्त अधिकारो की सीमा मे स्थानीय सोवियते निर्णय लेती है और आदेश जारी करती है।

राज्य-शक्ति की स्थानीय समितियो के सगठन, उनके अधिकारो और कर्तव्यो का उल्लेख सघीय और स्वायत्त जनतत्र के विधानो मे विस्तारपूर्वक किया गया है। उनमे व्यवस्था की गयी है कि स्थानीय

सोवियते देश की सुरक्षा क्षमता को बढाने मे मदद दे। अपनी कार्य-समितियो मे विभिन्न विभागो का निर्माण कर सके और छोटी सोवियतों के निर्णयो और आदेशों को रद्द या मुअत्तल कर सके।

श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियो की इलाका, प्रदेश और क्षेत्रीय सोवियते अपने-अपने न्यायालयो का चुनाव करती है। जन-न्यायालय ज़िले के नागरिको द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए सार्वभौम, समान और सीधी चुनाव प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते है।

श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियो की सोवियते निश्चित काल मे अपने अधिवेशन करती है। नव निर्वाचित सोवियत की पहली बैठक मे डिपुटियों मे मे ही स्थायी समितियो का चुनाव होता है, जो कि उस सोवियत के पूरे कार्यकाल तक काम करती है। ये स्थायी समितिया सोवियतो को उनकी सब प्रकार की कार्रवाइयो में व्यावहारिक सहायता देती है। स्थायी समितिया इन कामो की देखभाल करती है, जैसे, जन-शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, स्थानीय उद्योग, कृषि, वाणिज्य, गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि-आदि।

स्थायी समितियो का एक प्रमुख कार्य है, सोवियतो और जनता के आपसी संबंधों को अधिक से अधिक दृढ करने मे सहायता करना, जनता की आवश्यकताओ और जरूरतो का पता लगाना और उन्हें अच्छे से अच्छे तथा संतोषजनक ढग से पूरा करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये समितियां अपनी सोवियत के अन्तर्गत क्षेत्र के विभिन्न जन-सगठनो से संबध स्थापित करती है और उन्हे अपने बीच

काम करने के लिए प्रतिनिधि भेजने को आमंत्रित करती हैं तथा उनके काम में मदद देती है। अकेले रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी जनतन्त्र में १२,००,००० श्रमजीवी लोग है, जो सोवियतों की स्थायी समितियों के काम में भाग लेते है।

इस प्रकार, स्थानीय सोवियतो के काम मे वास्तव में हिस्सा लेनेवाले नागरिकों की संख्या चुने गये डिपुटियो की संख्या से कई गुना अधिक होती है, और स्थायी समितियों के काम में भाग लेना करोड़ो मजदूरों और किसानों के लिए राज्य-व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त करने की एक अच्छी पाठशाला के समान सिद्ध होता है।

स्थानीय सोवियत की कार्य-समिति ही उसकी कार्यकारिणी और व्यवस्था संबंधी समिति होती है, जो एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, एक मंत्री और कुछ सदस्यों से मिलकर बनी होती है। छोटे ग्राम क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्यवाहक समितियो मे सिर्फ एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक मंत्री ही होता है। कार्य-समिति उस सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है, जो उसे निर्वाचित करती है और उससे भी उच्च श्रमजीवी जन-प्रतिनिधियो की सोवियत की कार्य-समिति के प्रति भी जवाबदेह होती है।

सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की सोवियतो को छोडकर शेष सभी स्थानीय सोवियतो की कार्य-समितियो को शासन-व्यवस्था सबंधी कुछ विशेष-विशेष विभागों का काम सुपुर्द रहता है। साधारणतया उनके जिम्मे ये विभाग रहते है: अर्थ, वाणिज्य, म्युनिसिपल कार्य, कृषि, जन-शिक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक बीमा,

कर्मचारी सम्बंधी, योजना और साधारण विभाग। इनके अलावा, प्रादेशिक और क्षेत्रीय सोवियते सडक निर्माण, स्थानीय उद्योग आदि के विभाग भी संभालती है।

सोवियत शक्ति की ये स्थानीय समितिया उन तथाकथित "स्थानीय सरकारी सगठनो" से बिलकुल ही भिन्न है जो जारशाही रूस मे थी या जो आजकल पूंजीवादी देशो मे देखने को मिलती है।

सरमायादारो ने वहा स्थानीय सरकारी सगठनो को केन्द्रीय शक्ति का गुलाम बना रखा है और उन्हे केन्द्रीय पूजीवादी मशीन का पिछलग्गू बना दिया है।

लेकिन सोवियत संघ मे जनता के डिपुटियो की स्थानीय सोवियतो को सारे अधिकार प्राप्त है, वे उस नवीन, एकरूपता-प्राप्त समाजवादी राज्य-व्यवस्था के अभिन्न अग है, जिसका जन्म महान अक्तूबर समाजवादी क्राति से हुआ था।

सोवियत संघ की प्रमुख और संचालक शक्ति

कम्युनिस्ट पार्टी और जनता

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना महान लेनिन द्वारा बीसवी सदी के बिलकुल आरम्भ मे हुई थी। जारशाही रूस मे पार्टी केवल कुछ हजार सदस्यो की एक छोटी, क्रूरतापूर्वक दबायी जानेवाली अंडरग्राउड (गुप्त) सस्था थी।

लेकिन इसकी शक्ति और जनता के बीच इसका असर धीरे-धीरे बढ़ता हो गया। महान अक्तूबर समाजवादी क्राति के कुछ ही पहले इसकी सदस्य सख्या लगभग २,४०,००० थी। गृहयुद्ध के दौरान मे इसकी सदस्य संख्या तिगुनी बढ गयी। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के आरम्भ के समय पार्टी के ३८,००,००० सदस्य और उम्मीदवार थे, और १ फ़रवरी १९५६ को इसके ७०,००,००० से अधिक सदस्य और उम्मीदवार थे।

ये आकडे शब्दो से कही अधिक अच्छी तरह कम्युनिस्ट पार्टी की केवल सदस्य शक्ति के ही विकास को नही बताते, बल्कि इनसे जनता के बीच उसके बढ़ते हुए असर का भी पता चलता है। यह एक खास तौर से ध्यान देने योग्य बात है कि देश के सबसे अधिक कठिन

दिनो मे, जैसे गृहयुद्ध और महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान मे सदस्यो का आना घटना तो दूर रहा, उल्टे काफी बढ गया, यह आम जनता मे पार्टी के काफी बढे हुए विश्वास का प्रमाण है।

इसे किस प्रकार समझा जाय?

इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जनता ने देखा कि कम्युनिस्ट लोग मजदूरो और किसानो की रक्षा के लिए दृढता और वीरता के साथ आगे बढ़े और उन्होने जनता के हर तरह के दुश्मनो के खिलाफ निर्ममता से सघर्ष किया। कम्युनिस्टो ने जमीदारो और पूजीपतियो की क्राति-विरोधी योजनाओ का और जारशाही तथा पूजीवादी अस्थायी सरकार की जन-विरोधी नीतियो का पर्दाफाश किया। कम्युनिस्टो ने उन झूठे "जनता के दोस्तो" के विरुद्ध बिना किसी प्रकार का समझौता किये बराबर सघर्ष चलाया, जो अपने को "समाजवादी" कहते थे, लेकिन असल मे पूजीपतियो, जमीदारो और कुलको के पक्ष मे थे।

कई वर्षो के दौरान मे और तीन क्रातियो के अपने अनुभव से मजदूरो और किसानो ने समझ लिया कि कम्युनिस्ट पार्टी किस चीज के लिए सघर्ष कर रही है और पूजीवादी तथा नकली समाजवादी पार्टिया क्या चाहती है। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने ही मेहनतकश जनता की मुक्ति और उसकी ताकत के लिए तथा आम जनता की खुशहाली के लिए सघर्ष किया और उसे प्राप्त भी किया। अन्य सभी पार्टियो ने जनता की नज़रो मे अपने आपको

गिरा लिया और इस तरह वे उन वर्गों के साथ, जिनके हित की वे रक्षा किया करती थी, खत्म हो गयी।

इससे पता चलता है कि क्यो सोवियत सघ मे केवल एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही जगह है।

इससे पता चलता है कि क्यों कम्युनिस्ट ही एक ऐसी पार्टी को बना सके जिसे आम जनता का स्नेह और विश्वास प्राप्त है। इससे पता चलता है कि क्यो हजारों मजदूरो, किसानों, बुद्धिजीवियों और सोवियत सेना के सैनिको और अफसरो ने उस समय पार्टी मे शरीक होने के लिए आवेदनपत्र भेजे, जब देश प्राणघातक विपत्ति के बीच से गुजर रहा था।

शाति और युद्ध के समय, मोर्चे के पीछे और मोर्चे पर, और गुरिल्ला-युद्ध के दौरान मे कम्युनिस्टो ने निस्स्वार्थता और सोवियत मातृभूमि के प्रति वफादारी के अविस्मरणीय उदाहरण पेश किये थे। जनता महसूस करती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही उसकी मब कुछ है और वह जानती है कि यह कभी गलत रास्ता नही वताती, तथा कठिन से कठिन परीक्षा के समय यह उसके साथ रहती है।

कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली क्यों है

सोवियत मघ की कम्युनिस्ट पार्टी समान विचारवाले व्यक्तियों, कम्युनिस्टों का एक स्वेच्छा से वना और जंगजू सगठन है, जिसमें मजदूर वर्ग, श्रमजीवी किसान और मेहनतकश बुद्धिजीवी-श्रेणी के सदस्य सम्मिलित है।

कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता उन सभी वर्ग-जागृत, सक्रिय मजदूरों, किसानों और श्रमजीवी बुद्धिजीवियो के लिए खुली हुई है, जो कम्युनिज़्म की स्थापना के लिए अपने को समर्पित कर चुके हों।

कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली होने का मुख्य कारण यह है कि यह एक विकसित और आगे बढ़े हुए सिद्धांत द्वारा सचालित होती है।

इस सिंद्धात को विज्ञान की सफलताओ और सभी देशों मे चलनेवाले मजदूर आन्दोलन के अनुभव के आधार पर महानतम विद्वान और मजदूर वर्ग के नेता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एगेल्स ने जन्म दिया था, जो पिछली शताब्दी मे हुए थे। उन्होने वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया कि पूजीवादी व्यवस्था का पतन, सर्वहारा क्राति की विजय और समाजवाद तथा कम्युनिज़्म की स्थापना निश्चित है, उसे किसी भी प्रकार रोका नही जा सकता। मार्क्स और एगेल्स की शिक्षा मार्क्सवाद कहलाती है। लेनिनवाद मार्क्सवाद का विकसित और रचनात्मक रूप है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सिद्धात बताता है कि समाज मे क्या होता है, समाज किस प्रकार संगठित हुआ है, किन हिस्सो में– वर्गों मे –यह विभाजित है, वर्गों के बीच किस प्रकार का संघर्ष चलता है, और प्रत्येक वर्ग क्या चाहता है और क्या हासिल करने की कोशिश करता है। यह कम्युनिस्ट पार्टी की हर प्रकार की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद देता है, सामयिक घटनाओ के आन्तरिक सम्बन्ध को समझने और यह जानने मे मदद देता कि वर्तमान मे घटनाओ का विकास

किस ढंग से और किस दिशा की ओर हो रहा है और भविष्य में इनका विकास किस ढग मे और किस दिशा की ओर होगा। यह सिद्धांत पार्टी को इसके लिए समर्थ बनाता है कि वह घटना क्रम का पहले से ही अनुमान लगा सके और जनता के हितो और आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर घटना क्रम को किसी खास दिशा की ओर सचालित कर सके।

व्ला० इ० लेनिन की सीख है कि बिना क्रातिकारी सिद्धात के कोई क्रातिकारी आन्दोलन नही हो सकता, कि क्रातिकारी आन्दोलन के अग्रगामी दल की भूमिका सिर्फ वही पार्टी अदा कर सकती है, जो एक आगे बढे हुए सिद्धात-- मार्क्सवाद से संचालित होती हो। यह सिद्धात पार्टी को अपने सघर्ष के उद्देश्यो को साफ-साफ समझने मे मदद देता है, पूर्व निश्चित मार्ग पर दृढतापूर्वक आगे बढने, और अधिक दृढता और आत्मविश्वास के साथ विजय प्राप्त करने और उसे चिरस्थायी बनाने मे यह उसकी मदद करता है।

जब तक कोई मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धातों में अच्छी तरह दक्षता प्राप्त नही कर लेता तब तक वह कम्युनिस्ट निर्माण का एक आगे बढा हुआ, पूर्ण रूप मे चेतना प्राप्त कार्यकर्ता नही हो सकता। कम्युनिस्ट पार्टी अपने सदस्यों के लिए यह आवश्यक समझती है कि वे अपने राजनीतिक ज्ञान को पक्का करने के लिए और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धातो मे दक्षता प्राप्त करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहे।

कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली होने का कारण यह है कि इसने आम जनता के बीच क्रातिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतो का प्रचार किया है और अब भी बराबर कर रही है, इसने मजदूरों

को वर्ग-जागृत होने में और यह समझ प्राप्त करने मे मदद दी कि उनकी जमात सरमायादारो के खिलाफ एक बराबर सघर्ष रत वर्ग के रूप में स्थित है और यह महान ऐतिहासिक कार्य उन्ही के जिम्मे पडा है कि वे सरमायादारी को हमेशा के लिए दफन कर सके और सभी मेहनतकश लोगों के नेता और कम्युनिस्ट समाज के निर्माता बन सके।

कम्युनिस्ट पार्टी अपनी एकता और अनुशासन के कारण शक्तिशाली है।

कम्युनिस्ट पार्टी समान विचारवाले लोगों का एक सगठन है। कम्युनिस्ट पार्टी की अत्यन्त दृढ एकता पार्टी सदस्यो के विचारो की एकता पर आधारित है। यह एकता कम्युनिस्टो द्वारा मजदूर जनता को प्रभावित करने के लिए अन्य पार्टियो के खिलाफ चलाये गये लम्बे और निरन्तर सैद्धातिक संघर्ष से हासिल हुई है, यह एकता मजदूर जनता और श्रमजीवी किसानो को प्रचार, शिक्षा और सही नेतृत्व के जरिये अपने पक्ष मे लाने के उनके सघर्ष मे प्राप्त हुई है, और इस एकता को पार्टी के भीतर चलाये जानेवाले उस समझौता-विरोधी सघर्ष से प्राप्त किया गया है जो पार्टी की एकता को भग करने की और पार्टी के भीतर दलबंदी करने की कोशिश करनेवालो के खिलाफ चलाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की एकता ही उसकी शक्ति और उसके प्रभाव की सबसे बडी शर्त है।

कम्युनिस्ट पार्टी मिल-कारखानो, राजकीय और सामूहिक फार्मो, यातायात के विभागो, दफ्तरो, शिक्षा-सस्थाओ, सेना

और नौसेना वगैरह में फैले हुए स्थानीय संगठनों की कोई ढीली-ढाली जमात नही है, यह समस्त सोवियत संघ के कम्युनिस्टो का एकमात्र सगठन है, इसमे स्थानीय और उच्चतर नेतृत्वकारी कमेटिया होती है। यह इस सिद्धांत से शासित होती है कि अल्पमत को बहुमत के सामने झुकना ही चाहिये और पार्टी के निर्णय सभी सदस्यो पर समान रूप से लागू होगे।

कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता सोवियत संघ के ऐसे किसी भी श्रमजीवी नागरिक के लिए खुली हुई है जो दूसरो के श्रम का शोषण नही करता, पार्टी के कार्यक्रम और उसके नियमों को स्वीकार करता है और सक्रियतापूर्वक उन्हे व्यवहार मे लाने की कोशिश करता है, पार्टी के किसी सगठन मे काम करता है और पार्टी के सब निर्णयो को पूरा करता है। पार्टी-सदस्यो के लिए सदस्यता का चंदा देना अनिवार्य है।

ऐसे सभी लोगो को जो पार्टी मे शरीक होना चाहते है एक साल की परीक्षा-अवधि तक उम्मीदवार सदस्य के रूप मे रहना पड़ता है। इसका उद्देश्य यह है कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रम और नियमो को समझने का मौका मिल सके और पार्टी-संगठन भी उम्मीदवारो की व्यक्तिगत योग्यताओ को परख सकें।

पार्टी अपने प्रत्येक सदस्य से चाहती है कि वह पार्टी के निर्णयों को पूरा करनेवाला एक सक्रिय योद्धा हो।

कम्युनिस्ट पार्टी अपने सभी सदस्यों से कडे कड़े अनुशासन की माग करती है अर्थात्, चाहती है कि पार्टी के निर्णय बिना शर्त

और वक़्त की पाबन्दी के साथ पूरे किये जायं। कम्युनिस्ट पार्टी का अनुशासन अपने सदस्यों को चेतना पर, उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार की गयी पार्टी की आधीनता पर, पार्टी के उद्देश्य के प्रति उनके हार्दिक लगाव पर निर्भर रहता है।

बिना इस प्रकार के अनुशासन के पार्टी उन दिनो मे जब कि वह एक अडरग्राउड (गुप्त) संस्था थी, न तो कायम ही रह सकती थी और न सघर्ष ही कर सकती थी। उस समय से तो अनुशासन का महत्व और भी बढ गया है जब से पार्टी ने सोवियत समाज का संचालन आरम्भ किया है।

सभी पार्टी सदस्यो पर बिना इसका खयाल किये कि उनकी पुरानी सेवाए क्या है और वे किस पद पर आसीन है, पार्टी और राज्य का अनुशासन समान रूप से लागू होता है।

अगर कोई पार्टी सदस्य पार्टी के निर्णयो और नियमो को भग करता है, या कोई अपराध करता है तो उसे दंड मिलता है, और गम्भीर अपराधो के कारण उसे बरखास्त भी किया जा सकता है।

पार्टी इसीलिए शक्तिशाली और अजेय है कि वह आम जनता मे दृढता और अविभज्य रूप मे जुड़ी हुई है।

जो पार्टी आम जनता से अपना संबंध खो बैठती है, या सिर्फ हलका ही कर लेती है, वह उसके बीच से अपना विश्वास भी खो देती है और नीचे गिरने के लिए मजबूर हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी यह कभी नही भूलती। कम्युनिस्ट सीधे जनता के बीच काम करते है।

वे जनता की भावनाओ और उनकी मनोदशा को बहुत समीपता और गहराई से जानते है। मजदूर, सामूहिक फार्मो के किसान और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी-अपनी समस्याओ, मागो और अपने सुझावो को लेकर कम्युनिस्टो के पास जाते है। पार्टी संगठन अपनी खुली पार्टी मीटिगो मे भाग लेने के लिए गैर-पार्टी लोगो को भी आमंत्रित करते है।

पार्टी का आदेश है कि उसके सभी सदस्य आम जनता से अपने सबधो को बराबर दृढ करते रहे, मेहनतकश जनता की मागो और उसकी आवश्यकताओ पर फौरन ध्यान दें और उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय हो तथा उन्हे पार्टी की नीति और उसके निर्णयो को समझाये।

पार्टी माग करती है कि उसका प्रत्येक सदस्य जनता के सामने एक उदाहरण पेश करे, काम-काज मे, अपने धधे की कारीगरी को खूब अच्छी तरह से सीखने मे, अपने काम की योग्यता के बराबर बढाने मे, अपने ज्ञान के विकास मे, श्रम सबधी अनुशासन और राज्य के नियमो को पालन करने मे आम जनता के सामने अपना आदर्श उपस्थित करे। पार्टी चाहती है कि पार्टी सदस्य अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन मे आदर्श चरित्र का उदाहरण पेश करे।

कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता के बीच का गहरा सम्बन्ध सोवियतो के चुनाव के दौरान मे स्पष्ट रूप मे सामने आता है जब कि कम्युनिस्ट और गैर-पार्टी लोग मिलकर सयुक्त उम्मीदवार नामजद करते है और मतदाताओ के निर्विरोध मत प्राप्त करते है।

कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आस-पास लाखो सक्रिय गैर-पार्टी सहायको को एकजुट कर रखा है। इसने 'अखिल-संघीय लेनिनवादी नौजवान कम्युनिस्ट लीग' का संगठन किया है, जो कि एक गैर-पार्टी संस्था है, लेकिन फिर भी पार्टी से संबद्ध है।

नौजवान कम्युनिस्ट लीग मे १ करोड़ ८० लाख से भी अधिक सदस्य है। यह पार्टी की एक संचयित शक्ति है, उसके कार्य मे एक विश्वसनीय, वफादार और उत्साही सहायक है, और वह साधन है जिसके जरिये पार्टी के निर्णय आम जनता तक पहुचते है। नौजवान कम्युनिस्ट लीग युवकों मे कम्युनिज्म के विचार भरती है।

देश के जीवन में कम्युनिस्ट पार्टी का महत्व और उसकी भूमिका

सोवियत समाज कम्युनिज्म का निर्माण कर रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी इस समाज की राहनुमा और सचालक शक्ति है।

सोवियत सघ मे कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी स्थिति को सोवियत सघ के विधान में स्पष्ट किया गया है, जिसमे कहा गया है कि, "सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के लिए चलनेवाले मेहनतकश जनता के संघर्ष में उसका अगला दस्ता है", और कम्युनिस्ट पार्टी "मेहनतकश जनता के सार्वजनिक और राजकीय दोनों प्रकार के सगठनो की मुख्य आन्तरिक शक्ति है"।

कम्युनिस्ट पार्टी देश का नेतृत्व किस प्रकार करती है?

सोवियत सघ मे विभिन्न प्रकार के अनेक राजकीय और सार्वजनिक संगठन हे, जैसे, मोवियते, मजदूर-सभाए, नौजवान मगठन, सहकारी और मामूहिक कृषि फार्म मगठन, वैज्ञानिक सगठन, खेल-कूद सबंधी तथा अन्य प्रकार के सगठन, जिनकी कुल सदस्य सख्या का जोड करोडो तक पहुंचेगा। लेकिन मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के लिए एक ऐसी प्रमुख सस्था की भी आवश्यकता है जो एक समान उद्देश्य के लिए मभी जन-सगठनो को एक नेतृत्व प्रदान कर सके। कम्युनिस्ट पार्टी ही वह एकमात्र सस्था है।

पार्टी का मभी गैर-पार्टी सगठनों से गहरा सबन्ध है। पार्टी ही वह सर्वोत्तम पाठशाला है, जहा मेहनतकश जनता के ऐसे नेताओ को शिक्षित और दीक्षित किया जाता है जो विभिन्न संगठनो के काम को सचालित कर सकते है। अपने अनुभव और मेहनतकश जनता के बीच अपने प्रभाव के कारण पार्टी ही एकमात्र ऐसी सस्था है जो अन्य संगठनो को अपने सहायक और जनता से अपने सवध को एक सूत्र के रूप मे प्रयुक्त करते हुए, मेहनतकश जनता के सभी प्रयत्नो का नेतृत्व अपने हाथ मे ले सके और सभी सगठनो की गतिविधि को एक समान दिशा मे सचालित कर मके।

पार्टी किसी सार्वजनिक सगठन के काम को रोकती नही और न उनपर शासन ही करती है, यह उनके काम मे मदद करती है। वे कम्युनिस्ट जो गैर-पार्टी संगठनो मे काम करते है, अपने कामो से अपने लिए लोगो का आदर और प्रभाव जीत लेते है और इन सगठनो को पार्टी की नीति मनाने में तथा इन्हे स्वेच्छा से पार्टी का नेतृत्व स्वीकार कराने मे सफल होते है।

सोवियत संघ का पूरा इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के जीवन मे कितनी महान् भूमिका का नेर्वाह किया है।

सन् १६१८-२० के गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ने विदेशी हमलावरों और देशी क्रांति-विरोधियो के खिलाफ सोवियत जनता के संघर्ष का नेतृत्व किया था।

सन् १६२२ में गृहयुद्ध मे विजय पाने के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ का निर्माण हुआ और पार्टी के ही नेतृत्व मे शीघ्र ही वह एक प्रभावशाली समाजवादी शक्ति के रूप में विकसित हो गया।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे ही सोवियत मजदूरो और किसानो ने एक विशाल और शक्तिशाली उद्योग-व्यवस्था और बडे पैमाने पर समाजवादी खेतीबारी को जन्म दिया, और समाजवादी समाज का नेर्माण किया।

महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान में कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत ंघ की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए फासिस्ट जर्मनी और उसके सहायको के खिलाफ़ सारी जनता द्वारा चलाये जानेवाले ंघर्ष की प्रेरक और संगठनकर्ता थी। दुश्मनो पर जीत हासिल हो ाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने शीघ्रता से, पाच साल के भीतर, ाष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने और उत्पादन के युद्ध-पूर्व ; स्तर को भी काफ़ी हद तक पार कर जाने में मज़दूरो और कसानों की सहायता की।

इस समय कम्युनिस्ट पार्टी जनता के जीवन में एक क्रांतिक उन्नति की सफलता के लिए कम्युनिज्म के लिये उसका नेतृत्व रही है।

कम्युनिज़म मे अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रो मे उत्पाद की योग्यता और कुशलता बहुत ऊचे स्तर पर पहुंच जायगा तब काम एक आनन्द और खेल हो जायगा, और समाज के प्रत्‍ सदस्य के लिए जीवन की सबसे बडी आवश्यकता हो जायगा। मनु के श्रम की उत्पादन-क्षमता इतनी अधिक होगी कि उपभोग की चं इफरात से मिल सकेंगी। और उन्हे समाज के सदस्यो मे उनकी आवश्यक के अनुसार बाटा जा सकेगा।

सोवियत जनता अपनी कभी न खत्म होनेवाली शक्ति अ क्षमता मे दृढ विश्वास के साथ कम्युनिज्म की स्थापना के महान का को पूरा कर रही है। उसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, सघर्षों के दौरान मे अपनी परीक्षा दे चुकी है और फौलाद की त ताक़तवर बनी है।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे रूस की जनता ने जमींदारो औ पूंजीपतियो की शोषण-व्यवस्था को उखाड फेका और सोवियत शास की स्थापना की। इसी के नेतृत्व मे सोवियत सघ की मेहनतक जनता ने मज़दूरों और किसानो के एक शक्तिशाली राज्य क निर्माण किया संसार के सबसे पहले समाजवादी समाज निर्माण किया और अब वह तेज़ी से और पूरे आत्मविश्वास के सा कम्युनिज़म की ओर बढ रही है।